

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों  
पर  
सलाहकार समिति की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक

मई 2021



24 मार्च 2021


उप गवर्नर  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुंबई


राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की  
रिपोर्ट की प्रस्तुति


राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति का गठन रिज़र्व बैंक द्वारा 09 अगस्त 2019 के पत्र सं. 381/10.18.013/2019-20 के अनुसार किया गया था, ताकि राज्य सरकारों की विद्यमान अर्थोपाय अग्रिमों की योजना की समीक्षा और विचारार्थ विषयों में शामिल अन्य मुद्दों का परीक्षण किया जा सके।


इस समिति द्वारा राज्य सरकारों की बढ़ती हुई जरूरतों और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व राजकोषीय चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित अर्थोपाय अग्रिम स्कीम की समीक्षा की गई।


राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट हम सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।


  
24/3  
(सुधीर श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष


  
(एस. राधा चौहान)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)  
उत्तर प्रदेश सरकार


  
(पंकज जोशी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)  
गुजरात सरकार


  
(के. रामकृष्ण राव)  
प्रधान सचिव  
तेलंगाना सरकार

  
(समीर कुमार सिन्हा)  
प्रमुख सचिव (वित्त)  
असम सरकार

  
24/3/2021  
(अशोक के. के. मीणा)  
प्रधान सचिव (वित्त)  
ओडिशा सरकार

  
24/03/2021  
(सूरज कुमार प्रधान)  
संयुक्त निदेशक  
(पीएफ-एस), वित्त मंत्रालय  
भारत सरकार

  
(एन. आर. भानुमूर्ति)  
कुलपति  
बीएएसई यूनिवर्सिटी, बंगलुरु

  
24/3/2021  
(ब्रिजेश पी.)  
निदेशक, आंतरिक ऋण प्रबंध  
विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक संयोजक और  
सदस्य सचिव



## आभार

यह समिति बैठकों में सुझाव देने और सहभागिता करने के लिए राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य वित्त सचिवों/अन्य पदाधिकारियों को धन्यवाद देती है।

यह समिति मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए श्री आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) के प्रति आभारी है। अपनी अंतर्दृष्टीपूर्ण जानकारी का लाभ देने के लिए यह समिति आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री टी.के.राजन को भी धन्यवाद देती है।

यह समिति आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, सुश्री संगीता ई, सहायक महाप्रबंधक, श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, श्री प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक और श्री अविनाश देव, सहायक प्रबंधक के योगदान की सराहना करती है। आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के महाप्रबंधकों सुश्री लता विश्वनाथ और डॉ. सुदर्शन साहू से प्राप्त सुझावों के लिए आभार प्रकट करती है। समिति इस रिपोर्ट को तैयार करने के विभिन्न सोपानों के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के अन्य सभी अधिकारियों और स्टाफ के प्रति भी आभारी है।

यह समिति आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के प्रभारी अधिकारी डॉ देबा प्रसाद रथ; मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के प्रभारी परामर्शदाता श्री राजीव रंजन; मौद्रिक नीति विभाग के निदेशक श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य; आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की निदेशक सुश्री संगीता मिश्रा; श्री एस. सूरज, सहायक परामर्शदाता; श्री बिचित्रानंद सेठ, सहायक परामर्शदाता और श्री राहुल अग्रवाल, प्रबंधक को इनपुट देने के लिए धन्यवाद देती है।

यह समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक श्री बी.पी.कानूनगो, उप गवर्नर और श्री आर. सुब्रमणियन कार्यपालक निदेशक के समग्र मार्गदर्शन से भी अत्यधिक लाभान्वित हुई।



## विषयवस्तु

	पृष्ठ संख्या
<b>कार्यपालक सारांश</b>	<b>63</b>
<b>खंड</b>	
I परिचय	67
II अर्थोपाय अग्रिम योजना का उद्भव	69
III राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ	72
IV अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी – मौद्रिक नीति पर प्रभाव	75
V अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन – संदर्भ और मुद्दे	76
VI राज्यों की राजकोषीय सटीकता	78
VII अर्थोपाय अग्रिम / एसडीएफ/ओवरड्राफ्ट के उपभोग संबंधी प्रवृत्तियां	80
VIII अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं – संशोधन और पद्धति	81
IX ओवरड्राफ्ट सुविधा	83
X विशेष आहरण सुविधा	85
XI समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि	88
XII राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा	93
XIII संस्तुतियां	94
<b>संलग्नक</b>	
1 अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – विगत समितियों द्वारा सिफारिशें	96
2 राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष : एक समीक्षा	99
3 अर्थोपाय अग्रिम, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज – ऐतिहासिक प्रवृत्ति	101
4 आइटीबी और एटीबी में राज्य सरकारों द्वारा निवेश	103
5 आइटीबी में औसत निवेश	104
6 एटीबी में औसत निवेश	105
7 राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट की औसत मासिक स्थिति	106
8 व्यय आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा	107
9 ब्याज दरों में प्रवृत्तियां	108
10 मौद्रिक नीति की परिचालन पद्धति – भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था	109
11 राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिशों के निहितार्थ	110
12 राज्य सरकारों से प्राप्त सुझाव	112
13 सलाहकार समितियों द्वारा आयोजित बैठकें	118





## कार्यपालक सारांश

उभरती हुई आर्थिक और राजकोषीय स्थितियों के साथ-साथ मौद्रिक नीति उद्देश्यों के प्रभावों का आकलन करने के बाद राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) योजना की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य वित्त सचिवों का 31वां सम्मेलन 18 मार्च 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2019 में राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति का गठन किया।

इस समिति में 9 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष सहित भारतीय राज्यों के प्रत्येक जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे पाँच राज्यों के वित्त सचिव, पीएफ-एस, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत सरकार(जीओआई), से एक सदस्य; और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से एक अकादमिक विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा समिति को सचिवालयीन सहायता और शोधपरक सहायता प्रदान की गई। समिति ने परामर्शपरक दृष्टिकोण अपनाया और सदस्यों तथा जो सदस्य नहीं थे उन राज्यों और राजकोषीय/मौद्रिक नीति विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर अपनी संस्तुतियों को अंतिम रूप दिया। राज्य वित्त सचिवों की अधिशासी समिति की बैठकों के दौरान अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के संशोधन और समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने आभासी चर्चाएं करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकल्पों का सहारा लिया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण वास्तविक बैठकों का आयोजन असंभव हो गया था।

### संस्तुतियां

1. मुख्य रूप से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव और व्यय में कटौती और खुले बाजार से अतिरिक्त उधारियों के मिश्रण के माध्यम से राज्य कोविड-19 से पैदा हुए राजकोषीय दबाव को संभालने में सक्षम रहे। समिति ने राज्य सरकारों के कुल व्यय के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम

सीमाओं का आकलन किया। व्यय-आधारित पद्धति अपनाने का औचित्य यही था कि राज्यों के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमा को संशोधित किया जाए। इस प्रकार आकलित सूत्र-आधारित संशोधित सीमा का आकार ₹47,010 करोड़ रहा। यह देखते हुए कि महामारी का प्रभाव अभी भी है और समिति ने जो सूत्र-आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा आकलन किया था वह अंतरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार रहा कि ₹51,560 करोड़ की यह अर्थोपाय अग्रिम सीमा आगे छह महीने अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक बरकरार रहे। इसके बाद महामारी की दशा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक उस समय राज्यों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद या तो इस समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति के आधार पर या जैसा भी आवश्यक हो इस सीमा की समीक्षा करे।

2. समिति यह भी संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा /अर्थोपाय अग्रिम /ओडी पर ब्याज की वर्तमान दर को बनाए रखा जाए।
3. समिति यह प्रस्ताव करती है कि ओडी विनियमन<sup>1</sup> जारी रहें और ओडी पर अंतरिम रियायतें<sup>2</sup> 31 मार्च 2021 तक समाप्त कर दी जाए।
4. समिति यह संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा को, बिना किसी उच्चतर सीमा के, जी-सेक/एटीबी और सीएसएफ में किए गए निवेश और जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों की जमानत के बदले में आकलित करना जारी रखा जाए, और इस पर 5 प्रतिशत का सामान्य हेयरकट मार्जिन लागू किया जाएगा।

<sup>1</sup> जैसा कि 29 जनवरी 2016 को जारी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की योजना के बारे में आरबीआई की प्रेस प्रकाशनी में ओडी विनियमों का विवरण दिया गया है।

<sup>2</sup> ओडी सुविधा में अंतरिम रियायत 7 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रदान की गई थी ताकि किसी राज्य के ओडी में बने रहने के दिनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए इसे 14 से बढ़ाकर निरंतर 21 दिन और एक तिमाही में 36 से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया जाए। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमाम्य रहेगी।

5. समिति यह संस्तुति करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिलों) में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने पर परिसीमन<sup>3</sup> को हटा दिया जाए और राज्यों को 90 दिन के प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय टी-बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश करने से पहले प्राप्त की गई विशेष आहरण सुविधा/अर्थोपाय अग्रिम की पूर्ण चुकौती कर दी गई हो। इसी प्रकार इस विद्यमान शर्त को भी हटा दिया जाए कि राज्यों को अपने नकदी अधिशेष को नीलामी खजाना बिलों (एटीबी)<sup>4</sup> में निवेश करने के राज्यों को अनुमति की तभी होगी जब उन्होंने तत्काल ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। हालांकि, राज्य यह सावधानी रखें कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में अपने नकदी शेष का निवेश करने के बाद विशेष आहरण सुविधा नहीं प्राप्त करें। यदि ऐसी अवस्था बनती है तो रिज़र्व बैंक ऐसे उपाय करे जो ऐसे क्रियाकलापों को कम करने के लिए आवश्यक हों।

6. समिति ने इस तथ्य पर जोर दिया कि सीएसएफ और जीआरएफ आरक्षित निधियां हैं, जिनकी स्थापना एक विशेष प्रयोजन से राज्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से की गई है और इनको महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते रहने की जरूरत है। इसलिए, समिति दृढ़तापूर्वक अनुरोध करती है कि शेष बचे राज्य सीएसएफ/जीआरएफ योजना में शामिल हो जाएं, जिससे कि जरूरत के समय देयताओं की चुकौती हेतु इस निधि से आहरण की सुविधा रहेगी, और नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन का प्रबंधन करने के लिए विशेष आहरण सुविधा भी ले सकेंगे।

7. समिति यह संस्तुति करती है कि सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा, आगामी पाँच वर्ष के भीतर, एक न्यूनतम संग्रह किया जाए और इसके बाद इसे आवर्ती आधार पर बनाए रखा जाए। राज्य अपने विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया कुल देयताओं/गारंटियों का कम-से-कम 5 प्रतिशत का न्यूनतम संग्रह में रखें।

<sup>3</sup> यदि कोई राज्य, पहली बार, 91- दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करता है, तो इस क्रियाकलाप की अनुमति एक सीमित अवधि हेतु होगी, लेकिन अगले 90 दिन तक राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करके बाद में 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की यह मनमानी परिपाटी वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी बार और बाद में बनी रहती है, तो पहले अवसर के बाद से प्राप्त किए गए इस एसडीएफ को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

<sup>4</sup> एटीबी में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

8. समेकित ऋण-शोधन निधि से आहरण हेतु अवरुद्धता अवधि के संबंध में समिति यह संस्तुति करती है कि इस निधि की स्थापना करने से पाँच वर्ष की वर्तमान अवरुद्धता अवधि के स्थान पर दो वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति रहेगी।

9. सीएसएफ स्कीम से वर्तमान की इस शर्त को हटा दिया जाए कि सीएसएफ से आहरण की मात्रा वही रहेगी जो उस वर्ष में बाजार से लिए गए उधारों के लिए देय है। बकाया देयताओं<sup>5</sup> की चुकौती हेतु इस निधि में संचित और संकलित (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) ब्याज की कुल मात्रा का प्रयोग करने की अनुमति राज्यों को दी जाए।

10. ऊपर बताए अनुसार न्यूनतम संग्रह कर लेने के बाद इसी 5 प्रतिशत के इस न्यूनतम संग्रह में से अतिरिक्त राशि राज्यों को सीएसएफ<sup>6</sup> से आहरण की अनुमति दी जाए। इससे राज्य अपनी बकाया देयताओं की चुकौती हेतु न्यूनतम अपेक्षा से अधिक निविष्ट निधियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

11. सीएसएफ के मामले में राज्यों को विद्यमान विकल्प मिलता रहेगा कि वे इस निधि में संचित और संग्रहीत ब्याज का आहरण कर लें, और वे एकल अवसर पर आहरण के दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।

12. सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं में वर्तमान के इस प्रावधान को परिचालन सुविधा को देखते हुए हटाया जाए, जिसमें यह अनिवार्य है कि सीएसएफ/जीआरएफ में से समय-पूर्व विनिवेश के मामले में प्रतिभूतियों के चयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए। नकदीकृत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेने की अनुमति रिज़र्व बैंक को दी जाए, बशर्ते विनिवेश के लिए चुनी गई प्रतिभूतियां बिक्री के समय लाभ दे रही हों।

13. तदनुसार राज्य अपनी-अपनी सीएसएफ और स्कीमों में संशोधन करें और इसे अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करें, ताकि सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में उक्त रियायतों के लाभ ले सकें।

<sup>5</sup> बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

<sup>6</sup> यह विकल्प राज्यों को सक्षम करेगा कि वे सीएसएफ में कुल संग्रह में से कितनी भी रकम का आहरण कर लें, जिसमें 'कुल संग्रह' में विगत वर्ष के अंत में किए गए मूल योगदान, पुनर्निवेश और निधि में ब्याज के संचय शामिल होंगे।

14. समिति यह संस्तुति करती है कि राज्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम शेष को वर्तमान में संशोधित नहीं किया जाए और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु विभेदीकृत न्यूनतम शेष रखने की प्रणाली को बनाए रखा जाए क्योंकि यह अब तक संतोषप्रद पाया गया है (संलग्नक-2)। समिति का यह मानना है कि न्यूनतम नकद शेष की सीमा को बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है और यह उद्देश्य के विपरीत है कि राज्यों के नकदी प्रवाह/ बजटगत लेनदेन के अनुसरण में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक रूप से उच्चतर की तरफ संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है।

### अर्थोपाय अग्रिम योजना की आगामी समीक्षा

जैसा कि संस्तुति की गई है, ₹51,560 करोड़ की अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आगामी छह माह, अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखा जाए और इसके बाद अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन का निर्णय राज्यों की अपेक्षाओं का आकलन करने के बाद किया जाएगा। अर्थोपाय अग्रिम योजना का समिति आधारित संशोधन 16वें वित्त आयोग (एफसी) की रिपोर्ट जारी होने के बाद किया जाएगा, ताकि वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय कार्य-योजना और उस समय पर राज्यों की अपेक्षाओं पर विचार किया जाएगा।



## I. परिचय

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक देश में 27 राज्यों और पुदुचेरी तथा जम्मू-कश्मीर (जे एंड के.) संघ राज्य क्षेत्रों के ऋण प्रबंधक और बैंकर का कार्य करता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 ए के तहत रिज़र्व बैंक के साथ राज्य के करार के अनुसार सिक्किम सरकार<sup>7</sup> का भी ऋण प्रबंधक है। इस धारा के अनुसार रिज़र्व बैंक किसी भी राज्य की सरकार के साथ समझौता करके भारत में उसके सभी मुद्रा, विप्रेषण, विनिमय और बैंकिंग संव्यवहार करेगा, इसमें विशेष रूप से सभी जमाराशियां, बैंक में नकदी शेष, ब्याज रहित होगा; और लोक ऋण का प्रबंधन और राज्य द्वारा जारी किसी भी नए ऋण के निर्गम का प्रबंधन करेगा।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अग्रिम देता है ताकि वे अपनी प्राप्ति और भुगतानों में नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पर काबू रख सकें। इस प्रकार के अग्रिमों को अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का नाम दिया गया है और इस अधिनियम में इनकी परिभाषा इस प्रकार है – ‘ऐसे अग्रिम जो प्रत्येक मामले में अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर चुकता किए जाने हैं’। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को सन 1937 से अर्थोपाय अग्रिम देता चला आ रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम और उस पर लगाए जाने वाले ब्याज की अधिकतम राशि का नियंत्रण राज्य सरकारों के साथ हुए समझौतों के साथ-साथ गठित विभिन्न समितियों/ समूहों की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है।

1.3 जनवरी 2016 में, राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित समिति ने संशोधित किया था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि उस समय राज्यों की राजकोषीय स्थिति और 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट में विमर्श के बाद संभावित कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए सन 2020-21 के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना में आगामी संशोधन

किया जाए। तदनुसार अगस्त 2019 में श्री सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया।

1.4 समिति का आरंभिक गठन<sup>8</sup> इस प्रकार से था :

- 1) श्री सुधीर श्रीवास्तव, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र – अध्यक्ष
- 2) श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश – सदस्य
- 3) श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात – सदस्य
- 4) श्री राजीव बोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), असम – सदस्य
- 5) श्री आर. रामकृष्णराव, प्रधान सचिव (वित्त), तेलंगाना – सदस्य
- 6) श्री ए. के.के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त) ओडिशा – सदस्य
- 7) श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार – सदस्य
- 8) श्री एन.आर.भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी)<sup>9</sup> – सदस्य
- 9) श्री ब्रिजेश पी., निदेशक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक – संयोजक और सदस्य सचिव

<sup>8</sup> स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्ति के कारण समिति के कुछ सदस्यों को बदला गया :

- क) श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात ने श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात का स्थान लिया।
- ख) श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव, असम ने श्री राजीव बोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, असम का स्थान लिया।
- ग) सुश्री राधा चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ने श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश का स्थान लिया।

<sup>9</sup> श्री एन. आर. भानुमूर्ति इस समय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (बीएएसई) विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

<sup>7</sup> सिक्किम की सरकार ने अपने लोक ऋण के प्रबंधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता किया हुआ है।

## विचारार्थ विषय

1.5 समिति को दिए गए विचारार्थ विषयों (टीओआर) में मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

- (1) राज्य सरकारों के लिए विद्यमान अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा करना, खास कर सीमाओं के निर्धारण के सूत्र और संशोधनों की संस्तुति करना, यदि आवश्यक हो तो पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में;
- (2) राज्य सरकारों के लिए विद्यमान ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों की जांच करना;
- (3) राज्य सरकारों की विशेष आहरण सुविधा(एसडीएफ) की योजना की जांच करना; और इसकी सीएसएफ/जीआरएफ के साथ संबद्धता;
- (4) इस विषय से सहबद्ध कोई अन्य मुद्दा।

## रिपोर्ट की संरचना

1.6 विचारार्थ विषयों में दी गई रूपरेखा को देखते हुए इस रिपोर्ट को तेरह खंडों में तैयार किया गया है। अर्थोपाय अग्रिम योजना के

उद्भव और विगत वर्षों के दौरान इस योजना की समीक्षा के लिए गठित सलाहकार समितियों का संक्षिप्त परिचय खंड II में दिया गया है। राज्य वित्त में प्रवृत्तियों और 15वीं वित्तआयोग रिपोर्ट के निहितार्थों का वर्णन खंड III में किया गया है। संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को खंड IV में जांचा गया है। अर्थोपाय अग्रिम और राज्यों द्वारा नकदी शेष प्रबंधन का विश्लेषण खंड V में किया गया है। इस संदर्भ में खंड VI में भारतीय राज्यों की राजकोषीय लक्ष्यभेदकता पर चर्चा की गई है। एसडीएफ / अर्थोपाय अग्रिम/ ओडी के उपभोग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण खंड VII में किया गया है। राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा के संशोधन हेतु प्रयुक्त पद्धति को खंड VIII में बताया गया है। राज्य सरकारों के विद्यमान ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों पर खंड IX में चर्चा की गई है तो खंड X में विशेष आहरण सुविधा योजना और सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं के साथ इसकी सहबद्धता को बताया गया है। सीएसएफ और जीआरएफ में अपने संग्रह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खंड XI में सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं के विद्यमान फीचरों की समीक्षा की गई है। राज्य सरकारों द्वारा बरकरार रखे जाने वाले न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा खंड XII में की गई है। इस समिति की संस्तुतियों का सारांश खंड XIII में किया गया है।

## II. अर्थोपाय अग्रिम योजना का उद्भव

2.1 यह तो पहले कहा जा चुका है रिज़र्व बैंक समझौते के माध्यम से अपने साथ बैंकिंग करने वाले राज्यों को वित्तीय निभाव प्रदान करता है, ताकि अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पर काबू पाने में राज्यों की मदद हो सके। इस प्रकार की वित्तीय सहायता का अभिप्राय यह है कि अनिवार्य क्रियाकलापों और सामान्य वित्तीय परिचालनों को करते रहने के लिए राज्यों की मदद हो सके। राज्यों को रिज़र्व बैंक से प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम का नियंत्रण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) द्वारा किया जाता है। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के होते हैं, यथा – (i) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम या विशुद्ध अग्रिम, जिसका आरंभ 1937 में हुआ और (ii) सन 1953 में तैयार किए गए विशेष अर्थोपाय अग्रिम, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों की जमानत रखते हुए प्रदत्त प्रतिभूत अग्रिम है। जैसा कि मई 2013 में आयोजित एसएफएएस सम्मेलन में राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था, संबद्ध राज्य सरकारों के साथ समझौते में संशोधन करके विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नाम बदल कर 23 जून 2014 से विशेष आहरण सुविधा कर दिया गया। अर्थोपाय अग्रिम के अलावा जब भी किसी राज्य को वित्तीय निभाव उसकी विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) और अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं से आगे चला जाता है तो उसके लिए ओवर-ड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। हालांकि, रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अग्रिमों की अधिकतम रकम और उस पर लगाए जाने वाले ब्याज को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनका नियंत्रण राज्य सरकारों के साथ स्वैच्छिक समझौते के साथ-साथ आर्थिक परिवेश और विभिन्न समितियों की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है।

2.2 राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर राज्यों के नकदी शेष, जिस पर ब्याज देने का कोई दायित्व नहीं होता है, को अपने पास रखने से हो सकने वाले लाभों के अलावा रिज़र्व बैंक को राज्यों का सामान्य बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच समय-समय पर सहमत रकम के तुल्य न्यूनतम शेष बनाए रखें।

2.3 राज्य की अपेक्षाओं, उभरती राजकोषीय, वित्तीय और संस्थागत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय अग्रिम योजना की आवधिक रूप से समीक्षा की गई है। जब वर्ष 1937 में अर्थोपाय अग्रिम आरंभ की गई थी तो इसकी सीमा को अलग-अलग राज्य सरकारों के न्यूनतम शेष के बराबर रखा गया था।

इसके बाद राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक<sup>10</sup> रूप से संशोधित किया गया और इसे राज्यों के अपने-अपने न्यूनतम शेष के गुणक के रूप में निर्धारित किया गया। अनौपचारिक सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप अर्थोपाय अग्रिम सीमा के आकलन हेतु अपनाए गए सिद्धांतों में प्रमुख परिवर्तन सन 1999 में हुए। सन 1999 से रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से स्थापित सलाहकार समितियों की संस्तुतियों के आधार पर सीमाओं को निर्धारित किया जा रहा है (संलग्नक-1)।

2.4 राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के माध्यम से प्रदत्त अग्रिमों में बकाया पर ब्याज लगता है। इस प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज दरों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिनमें आवधिक संशोधन भी हुए हैं। मई 1976 से पहले अर्थोपाय अग्रिम पर यह ब्याज दर बैंक दर से अधिक नहीं होती थी। मई 1976 से अगस्त 1996 तक अग्रिम की समयावधि के आधार पर प्रभासों का क्रमिक स्तर रखा गया था, ताकि इस सुविधा का सामान्य बजटीय संसाधन के तौर पर प्रयोग करने से राज्य परहेज करें। इसके बाद अब अर्थोपाय अग्रिम पर एकल ब्याज दर लगाई जाती है। वर्तमान में अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओवरड्राफ्ट पर लगाई जा रही ब्याज दर को रेपो दर से सहबद्ध कर दिया गया है, जैसा कि आगामी तालिका-1 में दिया गया है।

**तालिका-1 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर**

स्कीम	सीमा	ब्याज दर
विशेष आहरण सुविधा	यदि सीएसएसफ और जीआरएफ में निवल वार्षिक वृद्धिशील निवेश के बदले में लिया गया है यदि जी-सेक/एटीबी में निवेश के बदले में लिया गया है	रेपो दर में से 2 प्रतिशत घटाकर रेपो दर में से 1 प्रतिशत घटाकर
अर्थोपाय अग्रिम	यदि अग्रिम देने की तारीख से 3 माह तक बकाया रह जाए यदि अग्रिम देने की तारीख से 3 माह से अधिक समय तक बकाया रह जाए	रेपो दर रेपो दर में 1 प्रतिशत जोड़कर
ओवर ड्राफ्ट	यदि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत तक लिया गया है यदि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक लिया गया है	रेपो दर में 2 प्रतिशत जोड़कर रेपो दर में 5 प्रतिशत जोड़कर

विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का सारांश संलग्नक – 3 में दिया गया है।

<sup>10</sup> श्री सुमीत बोस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में क्रमिक विकास का विस्तृत विवरण दिया गया है।

## भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समितियां

2.5 रिज़र्व बैंक द्वारा गठित राज्य वित्तसचिवों के औपचारिक समूह (जीएफएसएस) सहित विगत पाँच सलाहकार समितियों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम की इस योजना की समीक्षा की गई। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता किसी न किसी विख्यात सिविल सेवक/राज्य वित्त में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ द्वारा की गई (तालिका-2)।

### सन 2015 में गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष – श्री सुमित बोस)

2.6 राज्य सरकारों/पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का विगत संशोधन सन 2015 में श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार जनवरी 2016 में किया गया था। इस समिति ने राज्यों के कुल व्यय पर आधारित सूत्र का उपयोग किया था, जिसमें प्रत्येक राज्य के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमाओं का वितरण दिखाई दिया। यह अनुभव किया गया अर्थोपाय अग्रिम की मात्रा में बढ़ोतरी को कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी से अनुबद्ध होनी चाहिए। तदनुसार समिति ने यह संस्तुति की थी कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा को कुल व्यय को लॉटरी व्यय के साथ समायोजित करने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार संशोधित अर्थोपाय अग्रिम की मात्रा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु ₹32,225 करोड़ बन गई (फरवरी 2016 के बाद से प्रभावी)।

2.7 समिति ने यह सुझाव दिया था कि यह सीमा दिसम्बर 2017 तक बरकरार रखी जाए, जिसके बाद सन 2018-20 हेतु मात्रा के बारे में निर्णय लेने हेतु समीक्षा की जाए। तदनुसार मार्च 2018 में सीमाओं की समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि अर्थोपाय अग्रिम योजना की आगामी समीक्षा वर्ष 2020-21 में उस समय राज्यों की राजकोषीय स्थिति और 15वीं वित्त आयोग

रिपोर्ट में विचार-विमर्श किए जाने हेतु संभावित कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए की जाए।

### सन 2019 में गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री सुधीर श्रीवास्तव)

2.8 सुमित बोस समिति के सुझाव और एसएफएस के 31वें सम्मेलन (18 मार्च 2019 को आयोजित) में लिए गए निर्णय के अनुसार अगस्त 2019 में एक नई समिति का गठन श्री सुधीर श्रीवास्तव, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र की अध्यक्षता में किया गया, जिसके सदस्यों में व्यय विभाग, भारत सरकार और एक अकादमीय विशेषज्ञ को शामिल किया गया।

2.9 इस समिति की प्रथम बैठक 14 अक्टूबर 2019 को हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा का संशोधन करने हेतु प्रयुक्त हो सकने वाली पद्धतियों पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सीमाओं के संशोधन हेतु सूत्र तैयार करने के लिए व्यय आधारित पद्धति को अपनाया जाए।

2.10 समिति से अपेक्षित था कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया जाए। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और यह संकेत दिया कि वित्त आयोग को महत्वपूर्ण समष्टि चरांक उपलब्ध करा देने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण हुए राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में रिज़र्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम/ओडी में नरमी देने हेतु अंतरिम उपाय किए हैं। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 1 अप्रैल 2020 को अर्थोपाय अग्रिम में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹32,225 करोड़ से बढ़ाकर ₹41,900 करोड़ कर दिया। इसके बाद 17 अप्रैल 2020 को सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा को बढ़ाकर ₹51,560 करोड़ कर दिया गया, जो 31 मार्च 2020 को प्रचलित (₹32,225 करोड़) से 60 प्रतिशत अधिक है। इन उपायों को आरंभ में 30 सितम्बर 2020 तक विधिमान्य रखा गया था, और बाद में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया।

तालिका 2: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समितियाँ

क्रमांक	वर्ष	अध्यक्ष
1	1998	श्री बी. पी. आर. विड्डल
2	2000	राज्य वित्त सचिवों का औपचारिक समूह
3	2003	श्री सी. रामचन्द्रन
4	2005	श्री एम. पी. बेजबरुआ
5	2015	श्री सुमित बोस



2.11 इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक की अवधि हेतु राज्यों के ओडी नियंत्रण में रियायत दी, जिसमें कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों विद्यमान 14 कार्य-दिवसों के स्थान पर लगातार 21 कार्य-दिवस तक ओवरड्राफ्ट रख सकती है, और अब एक तिमाही के दौरान विद्यमान 36 कार्य-दिवसों के स्थान पर लगातार 50 कार्य-दिवस तक ओवरड्राफ्ट रख सकती है, ताकि अपने नकदी प्रवाह में असंतुलन पर काबू पाने में राज्य सरकारों को अधिकाधिक लोचशीलता मिले। अन्ततः इन रियायतों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया।

2.12 कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन का देखते हुए समिति की दूसरी बैठक 10 जुलाई 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। सदस्य राज्यों ने रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अंतरिम उपायों का स्वागत किया और कहा कि बाजार से अतिरिक्त उधारियों और रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव के माध्यम से वे कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय दबाव को संभाल सके। महामारी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि अभी कुछ समय के लिए अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम सीमा (अर्थात् ₹51,560 करोड़) को जारी रखा जाए और सामने आ रही स्थिति का आकलन करने के बाद इस अंतरिम सीमा में कोई और संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद समिति की संस्तुतियों को समाविष्ट किया जाए,

ताकि अर्थोपाय अग्रिम की नई सीमाएं निर्धारित करते समय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए संस्तुत राजकोषीय कार्य योजना पर विचार किया जा सके।



2.13 समिति की तीसरी बैठक 26 फरवरी 2021 को हुई। समिति के विचार विमर्श और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा की गई। समिति ने आगामी वित्तवर्ष (2021-22) में छह माह, अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक के लिए ₹51,560 करोड़ की वर्तमान अंतरिम सीमा को बनाए रखने के प्रति अपनी सहमति दी, क्योंकि समिति ने पाया कि सूत्र पर आधारित जिस अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन (₹47,010 करोड़) किया गया, वह अंतरिम सीमा से कम थी। समिति ने प्रस्ताव किया कि महामारी की स्थिति, उस समय समष्टि आर्थिक स्थिति और राज्यों की अपेक्षा का आकलन करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस अर्थोपाय अग्रिम सीमा की समीक्षा करे। विचारार्थ विषय में शामिल मदों यथा – विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओडी और सीएसएफ / जीआरएफ योजनाओं पर राज्यों से प्राप्त सुझावों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। यह भी निर्णय किया गया कि राज्यों द्वारा निर्गत गारंटियों सहित, आकस्मिक देयताओं के बारे में डाटा की परिशुद्ध और सामयिक रिपोर्टिंग पर इस रिपोर्ट में जोर देने की जरूरत है। राज्य वित्तसचिवों की कार्यकारिणी समिति की 19 जून 2020 को आयोजित 13वीं बैठक के दौरान राज्यों के बीच विचार विमर्श हेतु अर्थोपाय अग्रिम सीमा के संशोधन को भी प्रस्तुत किया गया था।

### III. राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के निहितार्थ

3.1 वित्त आयोग (एफसी) खासकर 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को बड़े अंतरणों की सिफारिश के अनुसार राज्यों को टैक्स के विभाज्य पूल में से राज्यों का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत हो जाएगा, अनिवार्यतया इसका आशय ऊर्ध्वाधर असंतुलों को ठीक करना था, जबकि मुक्त/ शर्त रहित अंतरणों के प्रयोग के बारे में राज्यों को अधिकाधिक गुंजाइश दी गई। इसी का प्रकटीकरण राज्यों की प्राप्ति के पैटर्न में दिखाई देता है कि केन्द्र से अंतरित राजस्व प्राप्ति के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है, जबकि राज्य की जीडीपी के समानुपात में राज्य के अपने कर-राजस्वों में व्यापक स्थिरता रही जिसकी वजह से राज्य के अपने राजस्व और केन्द्र से आने वाले अंतरणों के बीच अंतराल में कमी

आई जो 2000-05 के दौरान जीडीपी का क्रमशः 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थी। वर्ष 2014 से ये दोनों अभिसारित होने लगे, आरंभ में उच्चतर अंतरणों के माध्यम से और अभी हाल ही में उच्चतर अनुदानों के माध्यम से (चार्ट-1ए)। इस प्रकार देखें तो राज्य के बढ़ते हुए व्यय के कारण पैदा हो रहे संसाधन अंतराल को भरने में केन्द्र से अंतरणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (रेड्डी, 2018)। हालांकि, राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी हुई है, जो कुल व्यय के एक तिहाई तक हो गई है (चार्ट-1बी)। अपनी पूंजी परिव्यय योजनाओं में औसतन बजटगत की तुलना में जीडीपी का लगभग 0.5 प्रतिशत कटौती करके राज्यों ने राजकोषीय घाटे के एफआरएल-द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रबंध किया,


चार्ट 1: राज्य वित्त: व्यापक प्रवृत्तियां



**सी. घाटे के प्रमुख संकेतक**  
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

	2006-11 (औसत)	2011-16 (औसत)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 पीए	2020-21 बीई
जीएफडी	2.2	2.4	3.5	2.4	2.4	2.4	2.8
आरडी	-0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.7	0.0
पीडी	0.3	0.8	1.8	0.7	0.8	0.9	1.1

जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा; आरडी : राजस्व घाटा  
पीडी : प्राथमिक घाटा



स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, राज्य वित्त : बजट अध्ययन, आरबीआई

जो कि रहा, जिसने राज्य की राजकोषीय नीति को एक सह-आवर्ती पूर्वाग्रह (चार्ट-1सी और 1डी) दिया। बीई से सहबद्ध इसी प्रकार की प्रवृत्ति सन 2020-21 में संभावित है, खासकर यह देखते हुए कि लॉक डाउन, मानसून और आपसी दूरी के मानदंडों के कारण राज्य इस राजकोषीय वर्ष में भी अभी तक अधिक कैपेक्स लाने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

### 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

#### केन्द्र से सीधा धनअंतरण

3.2 वर्ष 2021-22 से 2025-26 के पाँच वित्तीय वर्ष 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि 1 फरवरी 2021, को जारी की गई। इसमें केन्द्र की तरफ से राज्यों को ऊर्ध्वाधर धन अंतरण सन 2021-26 के लिए विभाज्य पूल के 41 प्रतिशत पर रखा गया है, जो कि 14वें वित्त आयोग (42 प्रतिशत) द्वारा तय किए गए हिस्से को थोड़ा सा कम करता है, लेकिन उसमें 2020-21 के लिए इसकी अंतरिम रिपोर्ट में संस्तुत हिस्से को बरकरार रखा है। राज्यों के हिस्से में मामूली कमी प्रथमतया पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को आबंटित किए जा रहे हिस्से को समाप्त कर देने के कारण रही (सन 2018-19 में विभाज्य पूल का 0.8 प्रतिशत) (तालिका 3क)

3.3 वित्त आयोग को राज्यों के बीच करों के पारस्परिक वितरण हेतु न्यूनतम मानदंड के निर्धारण का कार्य भी सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों तक सरकार की सेवाओं को पहुंचाना और साथ-ही-साथ राज्यों के आय स्तरों में असमानता के कारण उनकी राजस्व अर्जन की भिन्न-भिन्न क्षमताओं को सुधारना भी था। वित्त आयोग ने 1971 की जनगणना आंकड़ों को

हटाया, जैसा कि विचारार्थ विषय में भी कहा गया था, और राज्यों के बीच पारस्परिक टैक्स वितरण के लिए सन 2011 की जनगणना को मानदंड के तौर पर लिया गया। सन 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ोतरी को सफलतापूर्वक नीचे लाने वाले राज्यों को लाभान्वित करने के प्रयोजन से जनांककीय कार्यनिष्पादन का नया मानदंड आरंभ किया गया – नहीं तो इस बदलाव के कारण इन राज्यों को दंडित होना पड़ता – यह नया मानदंड था कि सन 1971 में राज्य की जनसंख्या और सन 2011 में जनसंख्या के अनुसार कुल प्रजनन दर के आंकड़ों के फलन (तालिका 3बी) – का प्रतिलोम आरंभ किया गया। एक अन्य प्रमुख परिवर्तन है टैक्स प्रयासों हेतु मानदंडों को फिर से शुरू किया जाना, जिसका प्रयोग 10वें, 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया था किन्तु 13वें और 14वें वित्त आयोग ने इनको हटा दिया था। राज्यों के टैक्स संग्रह प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु और राजकोषीय समेकन के बारे में चिन्ताओं को दूर करने हेतु यह किया गया है। वन और पारिस्थितिकी के लिए भारांक को बढ़ा दिया गया है, जब कि आय-विभेद के भारांक को कम कर दिया गया है, यद्यपि केन्द्र सरकार के टैक्स वितरण हेतु यह प्रधान मानदंड बना रहेगा।

#### अनुदान

3.4 टैक्स वितरण के अलावा वित्त आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अनुदान के रूप में राज्यों को निर्दिष्ट अंतरण की सिफारिश भी की गई। एक-के-बाद-एक वित्त आयोगों के दौरान इन अनुदानों का प्रयोजन काफी अलग ही रहा, यद्यपि स्थानीय निकायों को संघ की तरफ से अंतरण की अनिवार्यता के लिए सन 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसरण में स्थानीय निकायों को केन्द्र की तरफ से टैक्स में दिए

**तालिका 3: टैक्स हस्तांतरण के मानदंड**

क. सीधा टैक्स हस्तांतरण मानदंड (प्रतिशत)			ख. क्षेत्रीय शेरिंग मानदंड (प्रतिशत)		
वित्त आयोग	टैक्स हस्तांतरण पैटर्न (विभाज्य पूल का प्रतिशत)	राज्य का हिस्सा / सकल टैक्स राजस्व	मानदंड	वित्त आयोग -XIV	वित्त आयोग-XV
एफसी-XI (2000-2005)	29.5	26.6	जनसंख्या - 1971	17.5	
एफसी -XII (2005-2010)	30.5	25.9	जनसंख्या - 2011	10	15
एफसी -XIII (2010-2015)	32	27.9	क्षेत्र	15	15
एफसी -XIV (2015-2020)	42	34.4	वन और पारिस्थितिकी	7.5	10
एफसी -XV (I) (2020-2021)	41	32.4	आय अंतराल	50	45
एफसी -XV (F) (2021-2026)	41		जनांककीय निष्पादन		12.5
			टैक्स और राजकोषीय प्रयास		2.5
			<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### तालिका 4: अनुदान

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	घटक	वार्षिक					अवार्ड की पूरी अवधि	
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26	कुल अनुदान में % हिस्सा
1	राजस्व घाटा अनुदान	1,18,452	86,201	51,673	24,483	13,705	2,94,514	28.5
2	स्थानीय सरकारों को अनुदान	80,297	84,703	87,181	92,087	92,093	4,36,361	42.2
3	आपदा प्रबंधन अनुदान	22,184	23,294	24,466	25,688	26,969	1,22,601	11.9
4	क्षेत्र विशिष्ट को अनुदान	12,346	23,729	24,773	33,062	36,077	1,29,987	12.6
5	राज्य विशिष्ट को अनुदान	-	9,919	9,919	14,883	14,878	49,599	4.8
<b>कुल</b>		<b>2,33,279</b>	<b>2,27,846</b>	<b>1,98,012</b>	<b>1,90,203</b>	<b>1,83,722</b>	<b>10,33,062</b>	<b>100.0</b>

स्रोत : वित्त आयोग रिपोर्ट

जाने वाले हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। जबकि स्थानीय निकायों को धन अंतरण 15वें वित्त आयोग के अनुदान में प्रमुख रहे, तथापि आयोग ने राजस्व घाटे और आपदा प्रबंधन हेतु अनुदान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने दो नए अनुदानों के बारे में भी सिफारिश की हैं – क्षेत्र-विशेष हेतु अनुदान और राज्य-विशिष्ट हेतु अनुदान। क्षेत्र-विशिष्ट हेतु अनुदान कार्य निष्पादन आधारित है (स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के अलावा) और तीन क्षेत्रों हेतु इनकी सिफारिश की है – (1) सामाजिक क्षेत्र – स्वास्थ्य, शिक्षा; (2) ग्रामीण अर्थव्यवस्था – कृषि सुधार, ग्रामीण सड़कें और (3) अभिशासन – न्यायपालिका, सांख्यिकी और महत्वाकांक्षी जिले और प्रखंड (तालिका 4)।

#### राज्य वित्त संबंधी निहितार्थ

3.5 टैक्स अंतरण के बारे में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों केन्द्र से संसाधनों के अंतरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगी।

विभाज्य हिस्से के हस्तांतरण को 41 प्रतिशत पर बनाए रखने से संसाधनों के अंतरण में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता आ जाती है। इसके बावजूद 2019-20 से ही टैक्स अंतरण में महत्वपूर्ण कमी रही, जो 2020-21 में भी बनी रही, प्रथमतया यह आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट के साथ-साथ इस विभाज्य पूल के बाहर रखे जाने वाले उप-करों और सरचार्ज के बढ़ते हुए हिस्से के कारण विभाज्य टैक्स पूल में कमी से चालित रही। अनुदान बढ़ाकर 15वें वित्त आयोग ने इसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है, खासकर 2021 से राजस्व घाटा अनुदान में बढ़ोतरी के माध्यम से। अंतरणों के समग्र पूल, में अनुदानों का हिस्सा, जिसे विभाज्य पूल के प्रतिशत की बजाय निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है, निधि के प्रवाह में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता लाता है, और इस प्रकार राजस्व में अनिश्चितता कम होती है। इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी संलग्नक-11 में दी गई है।

## IV. अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी – मौद्रिक नीति पर प्रभाव

4.1 जैसा कि पहले बताया गया है, समझौता करके भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधन का कार्य करता है, और बैंकर के तौर पर अपनी भूमिका में यह राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम / ओडी के रूप में अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है, ताकि वे नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेलपन पर काबू पा सकें। एक बार अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं पर निर्णय हो जाने पर ये अग्रिम राशियां राज्यों के लिए स्थायी सुविधा का काम करती हैं। परिणामस्वरूप इस स्कीम के तहत ली गई निधियां नकदी के लिए स्वायत्त चालक बन जाती हैं।

4.2 इनकी अस्थायी प्रकृति को देखते हुए व्यवहार में राज्यों को प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम प्रणालीगत चलनिधि के लिए राज्य सरकारों हेतु प्रमुख चालक नहीं होता है, यद्यपि यह भारतीय रिज़र्व बैंक के अल्पावधिक चलनिधि अनुमान और चलनिधि प्रबंधन हेतु चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा राज्यों के अलग-अलग चलनिधि अंतराल होते हैं और सभी राज्य आदर्श

रूप से एक साथ इस सुविधा को नहीं लेते हैं। सन 2019-20 के दौरान वृद्धिमान आधार पर राज्य सरकारों के रिज़र्व बैंक का निवल ऋण आरक्षित मुद्रा के संचयन का केवल 0.4 प्रतिशत रहा, इसकी तुलना में 2018-19 में 0.1 प्रतिशत का ऋणात्मक योगदान रहा था। राज्य सरकारों को रिज़र्व बैंक का ऋण 2020-21 के दौरान (26 मार्च 2021 तक) वृद्धिमान आरक्षित धन का (-)0.2 प्रतिशत रहा। लेकिन यथा कोविड-19 महामारी जैसे अप्रत्याशित सुदीर्घ आघात के कारण यदि सभी राज्य एक साथ अर्थोपाय अग्रिम लेते हैं, तो अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को बढ़ाना अपेक्षित हो जाता है, और चलनिधि प्रबंधन हेतु इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं।

4.3 उक्त को देखते हुए नकदी प्रबंधन में अनुशासन की जरूरत, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक तथा चलनिधि प्रबंधन हेतु निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय अग्रिम सीमा में संशोधन करने की जरूरत है।


## V. अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन – संदर्भ और मुद्दे

5.1 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों को संचालित करने वाले घटक व्यय को चालित करने वाले घटकों से भिन्न होते हैं और व्यापक रूप से एक दूसरे से असम्पृक्त रूप में संचालित होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजस्व की प्राप्तियों और व्यय हेतु निकासी के समय में बेमेलपन रहे। वेतन, पेंशन के भुगतान और भारत सरकार के ऋणों की चुकौती / शोधन सामान्यतया माह के पहले सप्ताह में होते हैं, नतीजा यह रहता है कि नकदी शेष में से ठोस निकासी होती है। राज्यों के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक – माल और सेवा कर (जीएसटी) का संचय सामान्यतया माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में होता है, जिससे नकदी शेष निर्मित हो जाता है (चार्ट -2)। इस प्रकार, राज्य सरकारों को या तो नकदी बफर की जरूरत होती है या अल्पावधिक उधारियां चाहिए होती हैं, या फिर दोनों, जबकि अपने अस्थायी अतिशेष को रखे के मार्ग भी चाहिए होते हैं। राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक ने इसी प्रयोजन हेतु विधिपूर्वक अर्थोपाय अग्रिम स्कीम तैयार की है।

5.2 राज्यों के बजट में प्राप्तियों की प्रमुख मदों में से एक मद होती है, भारत सरकार से अंतरण। राज्य आमतौर पर यह उल्लेख करते हैं कि भारत सरकार से अंतरणों, जिनमें जीएसटी

से संबद्ध अंतरण भी शामिल हैं, में अनिश्चितता से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ता है जिससे सावधानी के उपायों के तौर पर उन्हें मजबूरी में नकदी अधिशेष का उच्चतर स्तर रखना पड़ता है। राज्य सरकारों के नकदी शेष का स्वतः ही भारत सरकार के मध्यवर्ती खजाना बिलों(आईटीबी) में निवेश हो जाता है (संलग्नक 4)। इस संबंध में राज्यों को होने वाली राजस्व हानि आईटीबी की ब्याज दर (प्रतिफल) और राज्यों द्वारा उधारियों पर बाजार दर (लागत) में अंतर से स्पष्ट हो जाती है। बहुत से राज्यों ने इस ऋणात्मक महसूल पर चिन्ता जताई है। दूसरी तरफ राज्यों द्वारा आईटीबी में निवेश बहुत परिवर्तनशील और अनुमान योग्य नहीं है, जिससे भारत सरकार के नकदी शेष में भी परिवर्तनशीलता आ जाती है, जो कि बदले में रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन को प्रभावित करता है। जबकि अनिश्चितताओं से पार पाने के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त नकदी शेष रखा जाना अनिवार्य है, तो आवश्यकता से अधिक नकदी शेष को बनाए रखने के लिए आईटीबी/ एटीबी में निवेश के रूप में बचा जाए (संलग्नक 5 और 6)। राज्यों को अपने लिए नकदी शेष के इष्टतम स्तर का अंदाजा तो होना ही चाहिए और उन्हें नीलामी-निर्धारित दर पर बाजार से उधार लेने से पहले अपने

चार्ट 2 : राज्य सरकारों के नकदी शेष में प्रवृत्तियां



**बाक्स 1 : नकदी प्रबंधन परिपाटी और अर्थोपाय अग्रिम**

विलियम्स (2010) ने संक्षेप में बताया है कि सरकारी नकदी प्रबंधन में अच्छी परिपाटी कैसे बनती है। यह बताया जाता है कि अच्छे नकदी प्रबंधन हेतु सरकारी नकदी शेषों का केन्द्रीकरण और एकल खजाना खाते (टीएसए)<sup>11</sup> की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहारों, आधुनिक बैंकिंग, भुगतान और निपटान प्रणालियों सहित आधुनिक प्रणालियों पर निर्भरता अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। इसके अलावा, अल्पावधिक नकदी के भीतर आने और बाहर जाने का परिशुद्ध आकलन करने की क्षमता, नकदी प्रबंधकों, राजस्व संग्रहकर्ता एजेंसियों और व्ययकर्ता मंत्रालयों के बीच जानकारी को साझा करना, इत्यादि भी अपेक्षित है (पेसोआ और विलियम्स 2012)। कोई भी अनपेक्षित आर्थिक गतिविधि प्रत्याशित राजस्व / व्यय से विचलन की तरफ ले जाती है। इस संदर्भ में भारत में प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा है, और इससे अपेक्षित है कि राजस्व अंतराल को पूरा करने में राज्यों की मदद हो। बजट, व्यय, ऋण और चलनिधि प्रबंधन के संबंध में अर्थोपाय अग्रिम को व्यापक संदर्भों में देखा जाना है। अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग काफी हद तक नकदी प्रबंधन में राज्यों की दक्षता और राजकोषीय सटीकता (प्राप्तियों और व्यय के आकलन में परिशुद्धता) पर भी निर्भर है। यदि कोई राज्य अपनी अर्थोपाय अग्रिम सीमा के भीतर है और केवल अस्थायी असंतुलन को

पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम सुविधा ले रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग इष्टतम है। दूसरी तरफ, यदि कोई राज्य निरंतर ही अर्थोपाय अग्रिम लेता है, बारंबार ओडी में भी चला जाता है, तो इसे असंतुलित बजट की व्यापक समस्या के एक भाग के रूप में देखने की जरूरत है, और नकदी प्रवाह के परिशुद्ध आकलन में कठिनाइयों को पर्याप्त रूप से ठीक करने की जरूरत है। संक्षेप में अर्थोपाय अग्रिम का प्रबंधन भी मालसूची के प्रबंधन की तरह से है। नकदी को (खासकर अधिक हो तो) रखे रहने की भी लागत होती है, जबकि दूसरी तरफ नकदी कम पड़ जाने पर इसके अन्य नतीजों सहित जोखिम भी होते हैं।

संदर्भ :

1. विलियम्स, माइक (2010), “गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट इट्स इन्टरएक्शन विद अदर फाइनेन्शियल पॉलिसीज”, राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, जुलाई।
2. पेसोआ, मारियो और माइक विलियम्स (2012), “गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट : रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेजरी एन्ड दि सेन्ट्रल बैंक”, राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, नवम्बर।

अतिरिक्त नकदी शेष का उपभोग कर लेना चाहिए। यह पाने के लिए राज्यों को चाहिए कि नकदी प्रवाह विवरण बनाकर नियमित रूप से इसे अद्यतन करते रहें ताकि वे अपनी तात्कालिक नकदी जरूरतों की योजना और अनुमान लगा सकें। आगे चलकर, बेहतर नकदी प्रबंधन परिपाटी, यथा – सूचना प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सूचना प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार विमर्श किया जाए।

5.3 सरकारों द्वारा नकदी प्रबंधन के विषय पर विपुल साहित्य उपलब्ध है। अच्छे नकदी प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं – निवेश के साथ जुड़े जोखिम का प्रबंधन करते हुए व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, केवल तभी उधार लिया जाए जब जरूरी हो, उधार लेने की लागत न्यूनतम हो और निश्चल पड़ी नकदी पर प्रतिफल अधिकतम हो (बाँक्स-1)।

<sup>11</sup> सरकार के सभी नकदी शेषों का एक खाते में समेकन।

5.4 इस प्रकार अर्थोपाय प्रबंधन के इस मुद्दे को बजट, व्यय, ऋण और चलनिधि के व्यापक संदर्भ में देखना होगा। यह स्पष्ट है कि संतुलित बजट यह सुनिश्चित करने के लिए नितान्त अनिवार्य है कि कोई राज्य सरकार निरंतर ही ऐसे अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भर नहीं रहती हो जो बाद में ओडी में परिवर्तित हो जाए। यथा प्रस्तुत बजट निसंदेह ही संतुलित होते हैं। हालांकि बहुधा ऐसा होता है कि बजट पर्याप्त रूप से समेकित नहीं होते कि सभी प्रकार के व्यय को समाविष्ट कर सकें, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित व्यय भी हो सकते हैं। राजस्व अनुमान बहुत अधिक आशावादी हो सकते हैं, जबकि वास्तविक राजस्व में अप्रत्याशित कमी हो सकती है। यह सब कुछ किसी राज्य की राजकोषीय सटीकता का प्रभावित करेगा और अन्ततः इसका प्रभाव अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन पर भी पड़ता है। इस संबंध में आगामी खंड में भारतीय राज्यों में राजकोषीय सटीकता का संक्षिप्त परिदृश्य दिया गया है।

## VI. राज्यों की राजकोषीय सटीकता

### पृष्ठभूमि

6.1 राजकोषीय नीति की भाषा में राजकोषीय सटीकता का आशय है एक बजटीय कवायद में राजकोषीय संकेतकों हेतु सरकार के पूर्वानुमानों या आकलनों में बारीकी या परिशुद्धता। सरकारी बजट में खासतौर पर संख्याओं के तीन समुच्चय होते हैं – आगामी वर्ष हेतु बजट अनुमान (बीई), वर्तमान वर्ष में बीती अवधि के लिए संशोधित अनुमान (आरई) और विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। अच्छी राजकोषीय सटीकता का अर्थ है सरकारी अनुमानों में उच्च पूर्वानुमान परिशुद्धता जो खासतौर पर बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों के विचलन से निकाली जाती है। यद्यपि बजटीय पूर्वानुमानों में वास्तविक प्रतिमानों से विचलन होना स्वाभाविक है, तथापि विचलन (या त्रुटियों) की प्रकृति पर ध्यान देने की जरूरत रहती है, ताकि बजटीय पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता निर्धारित हो सके।

### भारतीय राज्यों की राजकोषीय सटीकता : सारांश

6.2 अभी हाल ही के कुछ अध्ययनों में भारत की राज्य सरकारों के पूर्वानुमानों की परिशुद्धता का परीक्षण किया गया। बजट 2014-15 एक अध्ययन (आरबीआई-2015) में 2001-02 से 2012-13 तक की अवधि हेतु राज्य सरकारों के पूर्वानुमान निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में पाया गया कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अतिअनुमान लगाया गया, और इसमें भी राजस्व व्यय के अतिअनुमान की सीमा भी अधिक रही। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती और श्रेष्ठ (2020) ने 2011-16 की अवधि में (तेलंगाना के अलावा) 28 भारतीय राज्यों के राजकोषीय पूर्वानुमानों में त्रुटियों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का पूर्वानुमान बढ़ा कर रखा गया जिसमें बजट अनुमान के संबंध में पूर्वानुमान बढ़कर रहा। अतिअनुमान का परिमाण राज्यों के अपने राजस्व और केन्द्रीय टैक्सों में हिस्से की तुलना में केन्द्र से राज्यों को अनुदान में उच्चतर रहा। श्रीनिवासन और मिश्रा (2020) ने राज्य सरकार राजस्वों में सटीकता का विश्लेषण किया और पाया कि समय के साथ-साथ राज्य सरकार राजस्वों

में अतिअनुमान बढ़ता गया, जबकि केन्द्रीय अनुदानों (राज्य योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों) के पूर्वानुमानों में त्रुटियों की भरमार राजस्व के अति अनुमान में रही।

6.3 वर्ष 2004-05 से 2018-19 तक की अवधि हेतु राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की राजकोषीय सटीकता के विश्लेषण (नवीनतम वर्ष जिसके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध थे) 29 राज्यों और विधायिका वाले 2 संघशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुदुचेरी) के संबंध में किए गए। प्राप्ति, व्यय और घाटे हेतु बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में वास्तविक आंकड़ों से विचलन पर विचार किया गया।

### प्राप्तियों का बजट

6.4 सभी राज्यों की राजस्व प्राप्ति को एक साथ लिया जाए तो 2011-12 से बजट अनुमान में और 2004-05 से संशोधित अनुमान में निरंतर ही अति-अनुमान<sup>12</sup> लगाया गया। इसके अलावा, सन 2012-13 से अति अनुमान का दायरा काफी बढ़ गया है (चार्ट 3ए)। पूंजी खाते में विचलन बहुत ही बड़े हैं, और विगत वर्षों के दौरान त्रुटियां अति अनुमान और न्यून अनुमान के बीच ऊपर-नीचे होती रहती हैं (चार्ट-3बी)।


### व्यय का बजट

6.5 सभी राज्यों के राजस्व व्यय को एक साथ लिया जाए तो 2004-05 से बजट अनुमान में और संशोधित अनुमान में निरंतर ही अति-अनुमान लगाए गए, यद्यपि 2011-12 के बाद से अति अनुमान के परिमाण में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा व्यय के पूर्वानुमान लगाने में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों ने निरंतर लचर निष्पादन किया है (चार्ट 4ए)। हाल ही के वर्षों में पूंजी खाते में अतिअनुमान भी बढ़ा है, सिवाय 2015-16 और 2016-17 के, जब 'उदय' से संबंधित व्यय के कारण बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक पूंजीगत व्यय उच्चतर स्तरों पर पहुंच गए (चार्ट 2बी)।

<sup>12</sup> यूनिट बजट से मिलने वाले केन्द्रीय अनुदानों के पूर्वानुमान में त्रुटि अब तक की सबसे बड़ी त्रुटि को दर्शाती है, माध्यक त्रुटि और माध्यक-वर्गमूल के वर्ग में त्रुटि (आरएमएसई), दोनों ही की दृष्टि से।



**चार्ट 3 : प्राप्तियों का बजट : लेखों और बीई / आरई में विचलन**




स्रोत : राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन (विभिन्न अंक)

**घाटे**

6.6 घाटे वास्तव में व्युत्पन्न संकेतक होते हैं, और इसलिए पूर्वानुमानों की तुलना में इनमें विचलन का निर्धारण प्राप्तियों और व्यय में अन्तर्निहित विचलन से होता है। तुलनात्मक आधार पर राजस्व घाटे सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में बजट अनुमान

और संशोधित अनुमानों में बड़े विचलन दर्शाते हैं। संभव है ऐसा मुख्यतः राजकोषीय दायित्व विधानों (एफआरएल) में राज्यों की उधारियों पर लगाई गई सीमाएं के कारण हुआ हो, जो राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पूंजीगत व्यय का समायोजन करने को विवश करती हैं।

**चार्ट 4 : व्यय बजट : लेखों और बीई/ आरई में विचलन**



स्रोत : राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन (विभिन्न अंक)

## VII. विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के उपयोग में प्रवृत्तियां

7.1 विगत वर्षों में विशेष रूप में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट / विशेष आहरण सुविधा के माध्यम से वित्तीय निभावों पर राज्यों की निर्भरता बढ़ गई है, (तालिका-5)। वर्ष 2010-11 और 2020-21 (फरवरी 2021 के अंत तक) के बीच वित्तीय निभाव का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या दोगुनी / दोगुनी से भी अधिक हुई है। कुछ राज्य अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का नियमित रूप से प्रयोग करते रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने इसका प्रयोग कुछ अवसरों पर किया। अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट सुविधा का नियमित प्रयोग यह संकेत देता है कि राज्यों की प्राप्ति और व्यय में सतत असंतुलन है और इस पर भली प्रकार ध्यान देने की जरूरत है।

### कोविड-19 के बाद गतिविधियां

7.2 कोविड-19 महामारी द्वारा राज्यों पर पड़े राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में रिज़र्व बैंक ने अंतरिम तौर पर अर्थोपाय अग्रिम की विद्यमान सीमाओं को बढ़ा दिया था। इसके अलावा अपने नकदी प्रवाह में बेमेलपन पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों को सुविधा देने के प्रयोजन से 7 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ओवरड्राफ्ट हेतु अनुमेय दिनों की संख्या में भी रियायत दी गई।

7.3 दबावग्रस्त आर्थिक स्थितियों के कारण अप्रैल 2020 से ही अर्थोपाय अग्रिम लेने वाले राज्यों / यूटी की संख्या और बढ़ी हुई सीमाओं के उपभोग की समयावधि में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक जिन पन्द्रह राज्यों / यूटी ने अर्थोपाय अग्रिम लिया उनमें से 8 राज्यों/यूटी ने सीमा का उल्लंघन किया और ये सब ओवरड्राफ्ट में चल रहे थे।

**तालिका 5 : राज्यों / केंद्र शासित द्वारा विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग (राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)**

वर्ष	विशेष आहरण सुविधा	अर्थोपाय अग्रिम	ओवरड्राफ्ट
2010-11	8	6	4
2011-12	8	9	6
2012-13	10	9	8
2013-14	13	13	8
2014-15	13	12	10
2015-16	12	12	9
2016-17	12	14	6
2017-18	11	13	7
2018-19	9	14	10
2019-20	16	13	9
2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)	17	15	8

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

### राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग

7.4 अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा के बदले में सभी राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के औसत उपभोग 2016-17 में 4.14 प्रतिशत पर रहे, लेकिन 2019-20 में बढ़कर 6.51 प्रतिशत हो गए और वर्तमान राजकोषीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8 प्रतिशत पर आ गए (फरवरी 2021 के अंत तक) (तालिका-6)। राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग लगभग तीन गुणा बढ़ गया, यह 2016-17 के ₹1,843.39 करोड़ से बढ़कर 2020-21 (फरवरी 2021 के अंत तक) में ₹5,379.32 करोड़ हो गया। सारांश रूप में, राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का उपयोग 2020-21 के दौरान काफी बढ़ गया (संलग्नक-7)।

**तालिका 6: राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग**

(राशि करोड़ में)

वर्ष	विशेष आहरण सुविधा		अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट	
	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग	कुल सीमाओं की प्रतिशतता रूप में उपयोग	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग
2015-16	2665.81	981.57	2226.61	689.17	2.14	1068.09	230.01
2016-17	2232.04	697.42	4045.97	1332.73	4.14	2113.08	510.66
2017-18	3583.74	847.61	6305.6	1407.14	4.37	2508.61	639.24
2018-19	3819.76	824.06	6806.0	2266.86	7.03	5717.1	725.56
2019-20	7837.86	2223.96	6460.71	2097.12	6.51	5788.37	747.02
2020-21 (फरवरी के अंत तक)	17241.71	4210.97	10793.56	4121.11	8.00	4059.07	1258.21

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

## VIII. अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं – संशोधन और पद्धति

8.1 समिति ने विभिन्न सूत्रों<sup>13</sup> पर विचार किया लेकिन यह निर्णय किया कि राज्य सरकारों हेतु संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा निर्धारित करने हेतु व्यय आधारित पद्धति को बनाए रखा जाए। समिति अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के अन्तर-राज्य वितरण में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचती रही, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। यह ध्यान देना मुनासिब होगा कि पूर्ववर्ती सलाहकार समिति ने भी अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन करने हेतु राज्यों के कुल व्यय को आधार के रूप में अपनाया, क्योंकि यह राज्यों के राजकोषीय आकार के समानुपात में अर्थोपाय अग्रिम सीमा के वितरण में सुविधा देता है और यह नकदी प्रवाह के लिए स्थानापन्न है। तदनुसार 2016-17 से 2018-19 तक राज्यों के व्यय में बढ़ोतरी का इस समिति ने अध्ययन किया (केवल खाता स्तरीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए) ताकि अर्थोपाय अग्रिम सीमा को तय किया जा सके।

8.2 समिति ने निर्णय किया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा की कुल प्रमात्रा की बढ़ोतरी 2016-17 से 2018-19 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान (पूँजीगत और राजस्व व्यय, लॉटरी व्यय, प्राकृतिक आपदाओं जैसे परिवर्तनशील और तदर्थ व्ययों को छोड़ते हुए) दर्ज किए गए कुल व्यय के 9.00 प्रतिशत के सीएजीआर से कम नहीं होना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों (एचएस और एनईएस)<sup>14</sup> के विकास हेतु विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सूत्र के अनुसार राज्यों के बीच अर्थोपाय अग्रिम सीमा की प्रमात्रा का वितरण किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों के लिए आकलित औसत के आधार<sup>15</sup> पर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच अर्थोपाय अग्रिम की प्रमात्रा को द्विभाजित किया जाता है। इसके बाद हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों हेतु

राज्यवार अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन औसत-आधार पर क्रमशः 2 प्रतिशत और 1.75 प्रतिशत (पूर्णांकित करने के बाद) के अनुपात<sup>16</sup> का अनुप्रयोग करके किया जाता है। हालांकि, अर्थोपाय अग्रिम सीमा की संवृद्धि दर में उतार-चढ़ाव से बचने के उद्देश्य से समिति ने अर्थोपाय अग्रिम की संवृद्धि दर को औसत संवृद्धि के आधार पर एक दायरे में सीमित कर दिया। तदनुसार, इस समिति ने पूर्ववर्ती सलाहकार समिति<sup>17</sup> द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में 19.30 प्रतिशत की न्यूनतर आबद्धता और 60 प्रतिशत की उच्चतर आबद्धता निर्धारित की गई। इस प्रकार राज्यों / यूटी के लिए सूत्र-आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा की कुल प्रमात्रा ₹47,010 करोड़ बनती है (संलग्नक 8) जो सुमित बोस समिति द्वारा संस्तुत ₹32,225 करोड़ की सीमा की तुलना में 45.9 प्रतिशत की समग्र बढ़ोतरी है। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के बीच वितरण का अनुपात 11:89 बनता है। निर्धारित की गई इतनी बड़ी सीमा से अपेक्षित है कि राजस्व प्रवाहों में किसी भी अप्रत्याशित कमी से हो सकने वाले अस्थायी असंतुलन को कवर कर सके।

8.3 अर्थोपाय अग्रिम की जरूरत न केवल राजस्व और व्यय की धाराओं में अस्थायी बेमेलपन की सीमा पर निर्भर है, बल्कि इसके द्वारा रखे गए आरंभिक नकदी बफर पर भी निर्भर है। इस प्रकार ऊपर प्रस्तावित सीमाएं विद्यमान बेमेलपन के महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य उपलब्ध अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं से अधिक आहरण नहीं करते हैं, यह आवश्यक है कि वे समुचित धनात्मक नकदी शेष रखते हुए मासिक प्राप्ति-व्यय चक्र आरंभ करें। समिति इस बात को दोहराती है कि अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का आशय नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन हेतु वित्त पोषण करना है और इसे राज्यों की स्थायी जरूरतों की वित्तपोषण की सुविधा के रूप में नहीं देखा जाए।

### संस्तुतियां

8.4 राज्य सरकारें मुख्यतया बाजार से उधार लेकर और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव के माध्यम से कोविड-19 महामारी से हुए राजकोषीय दबाव का प्रबंध करने में सक्षम रही हैं। क्योंकि इस महामारी का प्रभाव अभी भी है

<sup>13</sup> राजस्व, राज्यों के जीएसडीपी आदि में प्रवृत्तियों पर आधारित।

<sup>14</sup> हिमालयी राज्यों में शामिल हैं – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा – पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हैं।

<sup>15</sup> पद्धति के अनुसार विगत तीन वर्ष हेतु कुल व्यय (खातों के आंकड़े) के औसत के रूप में आधार को परिभाषित किया गया है।

<sup>16</sup> हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा के हिस्से को निकालते हैं, जिसकी गणना और समायोजन करते हुए अनुपात निकाला जाता है अन्य राज्यों के लिए भी इसी विधि को अपनाया जाता है।

<sup>17</sup> कोविड-19 महामारी के कारण अर्थोपाय अग्रिम सीमा में अंतरिम बढ़ोतरी सुमित बोस समिति द्वारा संस्तुत सीमा की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है।

**तालिका 7 : प्रस्तावित अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं**

(रकम करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	राज्य	विद्यमान सीमा (श्री सुमित बोस समिति)	संस्तुत <sup>18</sup> सीमा - 30 सितम्बर 2021 तक	क्र. सं.	राज्य	विद्यमान सीमा (श्री सुमित बोस समिति)	संस्तुत <sup>18</sup> सीमा - 30 सितम्बर 2021 तक
<b>I. अन्य राज्य (गैर हिमालयी – गैर पूर्वोत्तर राज्य)</b>				<b>II. हिमालयी क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्य</b>			
1	आन्ध्र प्रदेश	1510	2416	19	अरुणाचल प्रदेश	195	312
2	बिहार	1420	2272	20	असम	940	1504
3	छत्तीसगढ़	660	1056	21	हिमाचल प्रदेश	550	880
4	गोवा	170	272	22	मणिपुर	195	312
5	गुजरात	1915	3064	23	मेघालय	175	280
6	हरियाणा	915	1464	24	मिजोरम	160	256
7	झारखंड	720	1152	25	नगालैन्ड	205	328
8	कर्नाटक	1985	3176	26	त्रिपुरा	255	408
9	केरल	1215	1944	27	उत्तराखंड	505	808
10	मध्य प्रदेश	1600	2560	<b>उप-जोड़ (II)</b>		<b>3,180</b>	<b>5,088</b>
11	महाराष्ट्र	3385	5416	28	जम्मू और कश्मीर	880	1408
12	ओडिशा	985	1576	29	पुदुचेरी	130	208
13	पंजाब	925	1480	<b>जोड़ (सभी राज्य/ यूटी)</b>		<b>32,225</b>	<b>51,560</b>
14	राजस्थान	1630	2608				
15	तमिलनाडु	2475	3960				
16	तेलंगाना	1080	1728				
17	उत्तर प्रदेश	3550	5680				
18	पश्चिम बंगाल	1895	3032				
<b>उप-जोड़ (I)</b>		<b>28,035</b>	<b>44,856</b>				

और सूत्र आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा, अन्तरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार है कि ₹51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा आगामी छह माह अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक चलती रहे (तालिका-7)। इसके बाद इस महामारी की दशा और इसके आर्थिक तथा राजकोषीय प्रभाव के अनुसार,

रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों की उस समय की जरूरतों का आकलन करते हुए इस सीमा में संशोधन किया जाए, यह चाहे समिति द्वारा सुझाए गए सूत्र पर आधारित हो या जैसा भी जरूरी समझा जाए। समिति द्वारा आकलित अर्थोपाय अग्रिम की संशोधित सीमाएं इस रिपोर्ट के संलग्नक-8 में दी गई हैं।

<sup>18</sup> समिति ₹ 51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा को 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखने की सिफारिश करती है।

## IX. ओवरड्राफ्ट सुविधा (ओडी)

9.1 जब राज्य सरकारों के अग्रिम विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं से आगे निकल जाते हैं, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के ऐतिहासिक मूल्यांकन का सारांश सुमित बोस समिति ने तैयार किया जिससे ज्ञात होता है कि दिनों की संख्या की सीमा आरंभ में निरंतर 7 कार्य दिवस रखी गई थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों के आधार पर बाद में इसे बढ़ा दिया गया। तदनुसार रिजर्व बैंक ने 1 नवम्बर 1993 से राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट बनाए रखने की अवधि 7 निरंतर कार्य दिवसों से 10 कार्य दिवस करते हुए इस योजना में कुछ रियायत प्रदान कर दी। वर्ष 1998 में आईएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट रकम को अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिकतम 100 प्रतिशत पर रखा, यह भी प्रावधान रखा गया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक की ओवरड्राफ्ट रकम को तीन कार्य दिवस के बीच चुकता करना होगा। इसके पश्चात 2001 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक जीएसएफएस की सिफारिशों के आधार पर निरंतर 10 कार्य दिवसों की सीमा को बढ़ाकर निरंतर 12 कार्य दिवस किया गया और ओवरड्राफ्ट को अर्थोपाय अग्रिम के 100 प्रतिशत के स्तर के भीतर लाने की अवधि में रियायत देते हुए इसे निरंतर पाँच कार्य दिवस कर दिया गया। समिति ने पाया कि अर्थोपाय अग्रिम में बढ़ोतरी के बावजूद ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने में कमी नहीं आई है और बारंबार ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना संरचनागत असंतुलन अथवा खराब नकदी-प्रबंधन को प्रकट करता है। रामन्द्रन समिति ने पाया कि ओवरड्राफ्ट का बहुत ज्यादा सहारा लेना राजकोषीय असंतुलन का स्पष्ट संकेत है और जब तक इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि उस समय इसे ठीक करना खर्चीला और कठिन हो जाएगा। हालांकि, रामचन्द्रन समिति ने किसी राज्य के ओवरड्राफ्ट में बने रहने की सीमा को बढ़ाकर निरंतर 14 कार्य दिवस कर दिया। बेजबरुआ समिति ने ओवरड्राफ्ट के लिए विद्यमान समय सीमाओं में संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया और इस व्यवस्था को जारी रखा कि यदि निरंतर 14 कार्य दिवस के बाद भी ओवरड्राफ्ट रहे तो भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी एजेंसियां संबद्ध राज्य सरकार के संबंध में भुगतानों को रोक देंगे; यदि एक वित्तीय वर्ष

के दौरान पहली बार अर्थोपाय अग्रिम सीमा से लगातार 5 कार्य दिवस तक अधिक रहती है तो राज्य को रिजर्व बैंक द्वारा बता दिया जाएगा कि ओवरड्राफ्ट के स्तर को नीचे लाया जाए और यदि ऐसी अनियमितता उसी वित्तीय वर्ष में दूसरी बार या बाद के अवसरों में भी रहती है, तो 14 दिन तक ओवरड्राफ्ट की अनुमति देने के प्रावधान के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक भुगतानों को रोक देगा। किसी एक तिमाही में लिया गया ओवरड्राफ्ट 14 दिन और 5 दिन वाले नियमों के बावजूद 36 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। सुमित बोस समिति ने भी ओवरड्राफ्ट के उक्त विनियमों को कायम रखा।

### कोविड-19 के प्रबंध हेतु अंतरिम रियायत

9.2 कोविड-19 महामारी के कारण नकदी प्रवाह में आए बेमेलपन को काबू में करने हेतु राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक नरलचीलापन प्रदान करने हेतु अंतरिम उपाय के तौर पर अप्रैल 2020 में रिजर्व बैंक ने निर्णय किया है कि :

- 1) कोई भी राज्य/यूटी निरंतर 21 कार्य दिवस तक ओडी में रह सकता है, इसे वर्तमान के 14 कार्य दिवस के निर्धारण से बढ़ाया गया;
- 2) राज्य/यूटी के लिए एक तिमाही में वर्तमान के निर्धारित 36 कार्य दिवस तक ओडी में रहने की अवधि को बढ़ाकर 50 कार्य दिवस किया जाए।

उक्त रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमान्य है।

### सिफारिशें

9.3 समिति सुझाव देती है कि ऊपर उल्लिखित अंतरिम रियायतें 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दी जाए, और नीचे दिये गए विद्यमान ओवरड्राफ्ट विनियम जारी रहेंगे-

- (i) कोई राज्य निरंतर 14 कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट में रह सकता है। यदि उस राज्य के खाते में निरंतर 14 कार्य दिवस के बाद भी ओवरड्राफ्ट रहता है, तो रिजर्व बैंक और इसकी एजेंसियां संबद्ध राज्य सरकार के भुगतानों को रोक देंगे।

(ii) यदि एक वित्तीय वर्ष में पहली बार लगातार पाँच कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट की रकम अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक रहती है, तो रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य को ओवरड्राफ्ट का स्तर नीचे लाकर अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत के भीतर रखने को कहा जाएगा। लेकिन यदि उसी वित्तीय वर्ष में ऐसी अनियमितता दुबारा या फिर से होती है, तो रिज़र्व बैंक भुगतान रोक देगा, बावजूद उक्त खंड (i) के जिसमें राज्य को निरंतर 14 कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट रखने की अनुमति दी गई है।

(iii) किसी भी राज्य सरकार को एक तिमाही में 36 कार्य दिवस से अधिक हेतु ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उक्त खंड (i) और (ii) के बावजूद भुगतानों को रोक दिया जाएगा।

(iv) ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर निम्नानुसार रहेगी :

- क) अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत तक ओडी – रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक;
- ख) अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक ओडी – रेपो दर से पाँच प्रतिशत अधिक।

## X. विशेष आहरण सुविधा

10.1 राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम के अलावा 1 अप्रैल 1953 से ही भारत सरकार द्वारा जारी बाजार में बेचान योग्य प्रतिभूतियों में निवेश को संपार्श्विक रखते हुए विशेष आहरण सुविधा<sup>19</sup> (एसडीएफ) दी जा रही है। आरंभ में प्रत्येक राज्य के लिए ₹2 करोड़ की एक-समान सीमा निर्धारित की गई थी। मार्च 1967 से फरवरी 1999 के बीच इन सीमाओं को प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित न्यूनतम शेष से संबद्ध कर दिया गया, और आवधिक रूप से संशोधित किया जाता था। सन 1999 में राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम विषयक आईएसी ने सिफारिश की कि इन सीमाओं को न्यूनतम शेषों से असंबद्ध कर दिया जाए और राज्यों को मार्जिन की शर्त पर भारत सरकार प्रतिभूतियों की धारिता के बदले में मुक्त रूप से विशेष अर्थोपाय अग्रिम के आहरण की अनुमति दी जाए।

10.2 सन 2005 में बेजबरुआ समिति ने यह सिफारिश की कि समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में निवल वृद्धिमान (अर्थात् नए निवेश में से मोचन / नकदीकरण को घटाकर) वार्षिक निवेश को भी विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने हेतु पात्र माना जाए, इसकी मात्रा उनके सामान्य अर्थोपाय अग्रिम तक प्रतिबंधित रखी जाए। समिति ने महसूस किया कि इससे राज्य अपने-अपने सीएसएफ/जीआरएफ शेषों में सतत बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित होंगे, जबकि साथ ही वे अपनी मोचन देयताओं को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि भी बना लेंगे। सुमित बोस समिति ने 2016 में इस सुविधा को और अधिक उदरीकृत करते हुए राज्यों को अनुमति दी कि वे बिना किसी उच्चतर सीमा का पालन करते हुए राज्यों को सीएसएफ/जीआरएफ में किए गए अपने निवेश वृद्धिमान वार्षिक निवेशों के बदले विशेष आहरण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में दैनिक आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा का निर्धारण करने हुए प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत का सम-समान हेयरकट मार्जिन लगाया जाता है।

10.3 ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो विशेष आहरण सुविधा पर लगाई जाने वाली ब्याज दर आरंभ में बैंक दर से संबद्ध थी और बाद में रेपो दर से। जबकि भारत सरकार प्रतिभूतियों की धारिता के बदले में रेपो दर में से एक प्रतिशत घटाकर विशेष आहरण

सुविधा दिया जाना जारी है, सीएसएफ/जीआरएफ में अपना संचय करने को प्रेरित करने के प्रयोजन से 10 अगस्त 2018 से समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेशों के बदले में लिए गए विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज दर को रेपो दर में से दो प्रतिशत घटाते हुए नीचे लाया गया।

### विशेष आहरण सुविधा का उदारीकरण

10.4 शुरुआत से ही राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और नीलामी खजाना बिलों में निवेश की जमानत पर उचित मार्जिन का अनुप्रयोग करते हुए विशेष आहरण सुविधा दी जा रही थी।

10.5 रामचन्द्रन समिति (2003) ने यह पाया कि राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के रिजर्व को लीवरेज करके रिजर्व बैंक से संपार्श्विकृत निधियां ली जा सकती हैं, और इसलिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु समिति ने कुछ रक्षोपाय रखते हुए इस स्कीम को उदार बना दिया। जबकि पहले अनुप्रयुक्त मार्जिन दस से पन्द्रह प्रतिशत के दायरे में थे, समिति ने प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की सम-समान हेयरकट मार्जिन लगाने की सिफारिश की। ब्याज-दर को बैंक दर से कम करके बैंक दर में एक प्रतिशत कम कर दिया गया और राज्यों को केवल विशेष अर्थोपाय अग्रिम को पूरा ले लेने के बाद ही सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई।

### समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा लेना

10.6 रामचन्द्रन समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आहरण सुविधा हेतु पात्र प्रतिभूतियों को प्रभार मुक्त रखा जाए और इनमें वे प्रतिभूतियां शामिल नहीं की जाएं जो समेकित ऋण-शोधन निधि गारंटी मोचन निधि के दायरे में या ऐसी ही अन्य विशेष स्कीमों के दायरे में आती हैं, ताकि समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि शेषों की 'दोहरी गिरवी' से बचा जा सके। बेजबरुआ समिति ने मध्यम अवधि के दौरान राजकोषीय परिवेश में अपेक्षित सुधार के संदर्भ में निर्णय किया कि विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेशों को पात्र संपार्श्विक के रूप में अनुमति दी जाए। हालांकि, प्रत्येक राज्य हेतु सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के समतुल्य सीमा निर्धारित की गई। स्कीम को और भी नरम बनाने हेतु राज्यों के अनुरोध पर सुमित बोस समिति ने फिर से विचार किया और

<sup>19</sup> सन 2014 से पहले विशेष आहरण सुविधा का उल्लेख 'विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में किया जाता था।

सिफारिश की कि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में समस्त वृद्धिमान निवेशों को दिनांकित प्रतिभूतियों और एटीबी निवेशों की तरह से ही बिना किसी सीमा के विशेष आहरण सुविधा हेतु पात्र बना दिया जाए। हालांकि, 'दोहरे गिरवी' की समस्या से बचने हेतु समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आहरण सुविधा पात्रता का निर्णय दैनिक आधार पर किया जाए। वर्तमान में सिस्टम द्वारा दैनिक आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमाओं की स्वतः संगणना की जाती है, जबकि प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाता है।

10.7 समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवल वार्षिक निवेश के बदले में राज्यों को विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने की अनुमति देते समय बेजबरुआ समिति ने पाया कि राज्यों को दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में अस्थायी नकदी अतिशेष का निवेश करने की अनुमति प्रदान करना और फिर विशेष अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाने की अनुमति देना उचित वित्तीय सिद्धांत नहीं है। इसलिए, जब तक 'टिकाऊ अतिशेष' नहीं हो जाए तब तक राज्यों को भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेश से हतोत्साहित करने के प्रयोजन से समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों को अपने नकदी शेष का निवेश दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते उन्होंने तत्काल ही निरंतर 90 दिन की पूर्ववर्ती अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। इस 90 दिन की अवधि को अर्थोपाय अग्रिम की समयवधि के साथ सुस्थिर रखा गया, ताकि रिजर्व बैंक से अल्पावधिक उधर के रूप में दी गई दीर्घावधिक निवेश के प्रयोजनों हेतु का प्रयोग को टाला जा सके।

### सिफारिशें

10.8 समिति का अवलोकन रहा कि 2016 में विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा में नरमी लाने के बाद से विशेष आहरण सुविधा के उपभोग में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत कम ही राज्य विशेष आहरण सुविधा ले रहे हैं, यद्यपि सीएसएफ/जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश बढ़ता गया। हालांकि, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा का उपभोग काफी बढ़ गया, जो वित्तीय दबाव के समय इस सुविधा की उपयोगिता का संकेत देता है।

10.9 कुछ राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि सीएसएफ/जीआरएफ में सम्पूर्ण मूल संचय के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्रदान की जाए। हालांकि, समिति महसूस करती है कि यदि राज्यों को मूल संग्रह की जमानत पर विशेष आहरण सुविधा की अनुमति

दी जाती है तो वे जरूरत पड़ने पर सीएसएफ/जीआरएफ में किए गए निवेश का धन नहीं ले पाएंगे। इससे ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को आरक्षित निधियों के रूप में बनाए रखने का प्रयोजन ही असफल हो जाएगा। इसके मद्देनजर समिति यह सिफारिश करती है कि ऋण शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवल वार्षिक वृद्धिमान निवेश के आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सुविधा पर निर्णय लेने की वर्तमान प्रणाली को बिना किसी ऊपरी सीमा के जारी रखा जाए।

10.10 समिति रेखांकित करती है कि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि दोनों ही विशिष्ट प्रयोजन हेतु संस्थापित आरक्षित निधियां हैं, और इनको ठोस रूप से बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, विद्यमान प्रावधान में यदि किसी राज्य ने विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम लिया है तो दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में 90 दिन हेतु निवेश पर प्रतिबंध है और इस अवधि में राज्य समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश नहीं कर सकेंगे, भले ही विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम को चुकता कर दिया गया हो। अतएव, अस्पष्टता यदि कोई हो, को हटाने के उद्देश्य से, समिति यह स्पष्ट करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी प्रतिबंध<sup>20</sup> समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों पर लागू नहीं होंगे।

### एटीबी में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेना

10.11 सुमित बोस समिति ने सुझाव दिया कि, एटीबी भी तो सरकारी प्रतिभूतियां हैं तो राज्यों को यही सलाह देना बनता है कि वे एटीबी में केवल तभी निवेश करें जब दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेशों हेतु लगाए गए प्रतिबंधों की तरह ही उन्होंने ठीक 90 दिन पहले विशेष आहरण सुविधा नहीं ली हो। राज्य सरकारों की विवेकी नकदी प्रबंधन परिपाटी को बढ़ावा देने के लिए सुमित बोस समिति ने सिफारिश की कि यदि कोई राज्य 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेता है, तो पहले अवसर पर, इस क्रियाकलाप को एक सीमित अवधि हेतु अनुमति दी जाए, लेकिन अगले 90 दिन तक उस राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में आगामी निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एक ही वित्तीय वर्ष में विशेष आहरण सुविधा लेकर उसका निवेश 91-दिवसीय खजाना बिलों में करने

<sup>20</sup> वर्तमान में राज्यों को अनुमति है कि यदि उन्होंने ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया है, तो उन्हें अपने नकदी अतिशेष का निवेश दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में करने की अनुमति है।



का तरीका द्वितीय और बाद के अवसरों पर भी बना रहता है, तो प्रथम अवसर के बाद इस प्रकार लिए गए विशेष आहरण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा। समिति ने राज्यों से यह भी कहा कि वे नकदी का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें ताकि उनका अतिशेष एटीबी में निविष्ट रहते समय रिज़र्व बैंक से उधार लेने से बचा जा सके।

### सिफारिशें

10.12 वर्तमान में राज्य सरकारें केवल समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में अपने निवेशों के माध्यम से ही भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। वे अपने टिकाऊ नकदी अतिशेष को एटीबी (91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364 दिवसीय) में निवेश करते रहें हैं। हालांकि, समिति ने देखा कि बहुत कम राज्य जो लगातार एटीबी में निवेश कर रहे थे, उन्होंने इन निवेशों के बदले में विशेष आहरण सुविधा नहीं ली, सिवाय उन विरले अवसरों के जब अप्रत्याशित व्यय के कारण राज्यों ने विशेष आहरण सुविधा ली। इसके अलावा, विद्यमान स्थिति राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि उनके पास अपने

नकदी अतिशेष का अल्पकालिक निवेश करने के सीमित अवसर हैं – यथा – एटीबी और 14 दिवसीय आईटीबी। यदि 91-दिवसीय खजाना बिलों का निवेश 90 दिन के लिए बाधित हो जाता है तो राज्यों का नकदी अतिशेष स्वतः 14 दिवसीय आईटीबी में निविष्ट हो जाता है, जो रिवर्स रेपो से दो प्रतिशत कम (वर्तमान में 1.35 प्रतिशत) की बहुत ही कम प्रतिलाभ का अर्जन देता है। इसे देखते हुए, समिति महसूस करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेने पर प्रतिबंधों<sup>21</sup> को हटा दिया जाए और 90 दिवसीय प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते ऐसे निवेश से पहले ली गई विशेष आहरण सुविधा को पूर्णतया चुकता कर दिया गया हो। हालांकि, जैसा कि पूर्ववर्ती समितियों ने भी कहा था कि राज्यों को चाहिए कि वे नकदी का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें ताकि उनका अतिशेष एटीबी में निविष्ट होने के समय रिज़र्व बैंक से उधार लेने से बचा जा सके। यदि ऐसे अवसर बनते हैं तो इस प्रकार के अन्तरपणन क्रियाकलापों को रोकने हेतु रिज़र्व बैंक यथा आवश्यक समझी गई कार्रवाई करें।

<sup>21</sup> वर्तमान में, यदि कोई राज्य 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेता है, तो पहले अवसर पर, इस अंतरपणन क्रियाकलाप को एक सीमित अवधि हेतु अनुमति दी जाए, लेकिन अगले 90 दिन तक उस राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में आगामी निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एक ही वित्तीय वर्ष में विशेष आहरण सुविधा लेकर इसका निवेश 91-दिवसीय खजाना बिलों में करने का तरीका द्वितीय और बाद के अवसरों पर भी बना रहता है, तो प्रथम अवसर के बाद इस प्रकार ली गई विशेष आहरण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

## XI. समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि

### परिचय

11.1 राज्य सरकारों की तरफ से उनकी आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दो आरक्षित निधियों का प्रबंधन करता है, यथा – समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि। राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अंशदान से इन निधियों को स्थापित किया गया है। सरकार के भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु सृजित समेकित ऋण-शोधन निधि एक प्रकार से ऋण परिशोधन निधि है। इस निधि में उपचित और संचित ब्याज का प्रयोग सरकार की बकाया देयताओं के मोचन हेतु किया जाता है। राज्य स्तरीय निकायों की तरफ से जारी गारंटियों के कारण पैदा होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया है। इस निधि में होने वाले संचयों का प्रयोग अपने राज्य स्तरीय उपक्रमों/अन्य निकायों द्वारा निर्गमित बॉन्डों/ ली गई अन्य उधारियों के संबंध में केवल सरकार द्वारा जारी (और लाभभोगी द्वारा मोचित किए जाने पर) गारंटियों के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

### पृष्ठभूमि

#### समेकित ऋणशोधन निधि

11.2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक ने सन 1999 में मॉडल समेकित ऋण-शोधन निधि स्कीम तैयार करके राज्यों के बीच अपनाने हेतु /विचारार्थ परिचालित की थी। बाद में बारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों के (केवल खुले बाजार से लिए गए उधारों ही नहीं) सभी ऋणों के संबंध में चुकौतियों को समेकित ऋण-शोधन निधि में कवर किया जाए। इस पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्यों के बीच समेकित ऋण-शोधन निधि की संशोधित मॉडल स्कीम को परिचालित किया। अक्टूबर 2012 में एक कार्यबल(डब्ल्यूजी) का गठन किया गया ताकि इस निधि को अर्थक्षम बनाने के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि में निवेश हेतु विभिन्न मार्गों का परीक्षण किया जा सके, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस कार्यबल की प्रमुख सिफारिशों में यह भी रही कि 5 वर्ष के भीतर ही राज्य की देयताओं के 3-5 प्रतिशत का न्यूनतम संचय किया जाए और इसके बाद इसे निरंतर बनाए रखा जाए। आज की तारीख में 24 राज्यों और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश ने समेकित ऋण-शोधन निधि स्थापित कर लिया है। इसमें

31 मार्च 2020 तक कुल ₹ 1,30,431.38 करोड़ की रकम संचित हो चुकी है।

#### गारंटी मोचन निधि

11.3 'राज्य सरकार गारंटियों पर तकनीकी समिति' (फरवरी 1999) की सिफारिशों के आधार पर बहुत से राज्यों ने अपने द्वारा जारी की जा रही गारंटियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का उपक्रम किया। इसके अलावा, राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिए गठित राज्य वित्त सचिवों के एक समूह (2002) ने राज्य सरकार गारंटियों के हस्तांतरण के संबंध में समुचित जोखिम भारांक देने के महत्व को रेखांकित किया और जोखिम-भारित गारंटियों के समाकलन का सुझाव दिया ताकि यदि वे राज्य के हिस्से में आ जाएं तो इन गारंटियों को सकारने हेतु पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जा सकें। राज्य स्तर पर राजकोषीय दायित्व विधान(एफआरएल) (2005) की रिपोर्ट ने राज्यों के जीएसडीपी/ कुल राजस्व प्राप्तियों के संबंध में वार्षिक वृद्धिमान जोखिम-भारित गारंटियों हेतु एक सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की। बहुत से राज्य अपने-अपने एफआरएल में इस सिफारिश का समावेश कर चुके हैं। रिज़र्व बैंक ने 2003 में गारंटी मोचन निधि की स्कीम का प्रारूप राज्यों के बीच परिचालित किया कि वे इसे स्वतः अंगीकार कर लें। 31 मार्च 2020 की यथास्थिति अनुसार 18 राज्य सरकारें गारंटी मोचन निधि में जुड़ चुकी हैं और ₹7,486 करोड़ का निवेश हो चुका है।

#### आरक्षित निधियां बनाने को प्रेरित करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

11.4 वर्ष 2005 और 2015 में गठित सलाहकार समितियों ने विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने हेतु समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में किए गए वृद्धिमान निवेश का प्रयोग संपार्श्विक के तौर पर करने की अनुमति दी, ताकि राज्य सरकारों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में उदारतापूर्वक निवेश करने को प्रेरित किया जा सके। जून 2018 में विशेष आहरण सुविधा (समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश के बदले) पर ब्याज दर को रेपो दर में से एक प्रतिशत कम से घटाकर रेपो दर में से दो प्रतिशत कम पर ला दिया गया, ताकि राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में संचय बढ़ाने को प्रेरित किया जा सके।

## 11.5 समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि के महत्वपूर्ण लक्षण

लक्षण	सीएसएफ	जीआरएफ
<b>निधि में योगदान</b>	सरकार इस निधि में विगत वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के लिए मामूली स्तर पर कम-से-कम 0.5 प्रतिशत का अंशदान आरंभ करे और प्रतिवर्ष इस न्यूनतम अंशदान को बढ़ाने का प्रयास करे। इस निधि एक साल में किए जाने वाले अंशदानों की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	सरकार द्वारा यह निधि स्थापित की जाएगी जिसमें विगत साल के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम 1 प्रतिशत अंशदान रखा जाए और इसके बाद न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान हो ताकि अगले पाँच वर्ष में न्यूनतम 3 प्रतिशत का स्तर प्राप्त हो सके। इस निधि को क्रमिक रूप से 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर पर लाया जाएगा। यदि गारंटियों को लागू किया जाता है या किए जाने की संभावना है तो अतिरिक्त निधियां (5 प्रतिशत के अलावा) लागू की जाएगी।
<b>निधि से आहरण</b>	केवल तभी अनुमेय जब बकाया देयताओं को चुकता करना हो, जिसमें सरकार के आंतरिक ऋण और लोक खाते की देयताएं शामिल हैं।	केवल सरकार द्वारा जारी और लाभभोगियों द्वारा चुकाने के लिए कही गई गारंटियों के कारण पैदा होने वाले दायित्वों का भुगतान करने के लिए।
<b>आहरण की सीमा</b>	विगत वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि में उपचित और संचित ब्याज के आहरण की अनुमति है। यह रकम खुले बाजार से लिए गए उधारों के संबंध में उस साल के लिए मोचन की रकम से अधिक नहीं रहेगी।	मोचन की गई गारंटी और सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की तारीख तक निधि में संचित शेष में से आहरण की अनुमति है, सरकार के निदेशों के अनुसार या सरकार को यह विकल्प होगा कि विगत साल की बकाया गारंटी के 5 प्रतिशत से ऊपर की निधि के आधिक्य का आहरण किया जाए।
<b>अवरुद्धता अवधि</b>	5 वर्ष	-
<b>विशेष आहरण सुविधा लेने की सुविधा</b>	राज्यों के निवल वृद्धिमान वार्षिक निवेश (अर्थात् विगत वर्ष की समरूपी अवधि में जो स्तर है उसके अलावा बकाया शेष) विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए पात्र है।	राज्यों के निवल वृद्धिमान वार्षिक निवेश (अर्थात् विगत वर्ष की समरूपी अवधि में जो स्तर है उसके अलावा बकाया शेष) विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए पात्र है।

## समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि रखने के लाभ

11.6 समिति ने उन विभिन्न लाभों पर विचार विमर्श किया जो राज्य सरकारों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को बनाए रखने से मिलते हैं, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है :

- 1) मोचन देयताओं की चुकौती हेतु समेकित ऋण-शोधन निधि एक बफर निधि का काम कर सकता है, जिसके अभाव में राज्यों को बाजार उधारियों का सहारा लेना पड़ता है।
- 2) बफर निधि की उपलब्धता किसी भी राज्य के निर्गमनों में निवेशक का भरोसा बढ़ाती है जिसके सकारात्मक प्रभाव राज्य द्वारा उधार लेने की लागत पर पड़ते हैं।
- 3) आर्थिक दबाव के समय राज्यों के वित्त पर प्रभावों से समेकित ऋण-शोधन निधि बचाव कर सकती है।
- 4) इसी प्रकार गारंटियों का निर्गमन करके राज्यों द्वारा सृजित आकस्मिक देयताओं को पूरा करने हेतु गारंटी मोचन निधि का प्रयोग हो सकता है, इस तरह राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाव होता है।
- 5) समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि में निवेशों से अर्जित छमाही कूपनों (ब्याज) और परिपक्वता पर प्राप्त मोचन-रकम का इसी निधि में फिर से निवेश हो जाता है। कुछ समय बाद इससे काफी बड़ी रकम का संचय हो जाता है।
- 6) समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेश का प्रयोग करके भी राज्य सरकारों को लाभ होता है क्योंकि वे कम ब्याज दर<sup>22</sup> अर्थात् रेपो दर में से दो प्रतिशत घटाते हुए पर विशेष आहरण सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

## सीएसएफ और जीआरएफ स्कीमों में सीमाएं

11.7 यद्यपि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि के रूप में आरक्षित निधि रखने से राज्यों को काफी लाभ होता है, तथापि कुछ राज्यों ने समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि को बनाए रखने में कुछ बाधक तत्व भी बताए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- 1) बाजार से उधार लेकर आरक्षित निधि में अंशदान करने से राज्य सरकारों को लागत देनी पड़ती है। यदि इन निवेशों के बदले में राज्य विशेष आहरण सुविधा

<sup>22</sup> समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेशों के बदले में लिए गए विशेष आहरण सुविधा पर वर्तमान ब्याज दर (रेपो दर से 2 प्रतिशत कम) 2 प्रतिशत बनती है।

लेते हैं तो यह लागत कुछ हद तक कम की जा सकती है (क्योंकि विशेष आहरण सुविधा रियायती दर पर दी जाती है)।

- 2) विद्यमान समेकित ऋण-शोधन निधि स्कीम के तहत मूल अंशदान फंस जाता है क्योंकि राज्य इस निधि में से केवल मिले हुए और संचित ब्याज का ही आहरण कर सकते हैं, मूलधन संचय का नहीं। यह भी कि किसी राज्य को पाँच वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद ही आहरण की अनुमति दी जाती है, और वह भी आहरण के वर्ष में केवल मोचन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु। इसी प्रकार गारंटी मोचन निधि स्कीम के तहत धन-संचय के आकार पर ध्यान दिए बिना केवल गारंटियों का भुगतान मांगे जाने के कारण हुए भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु ही निधियों का आहरण किया जा सकता है।

समिति का मानना है कि ये प्रतिबंधक तत्व इस निधि को बनाए रखने/में अंशदान हेतु प्रेरित नहीं करते।

## राज्यों को सीएसएफ और जीआरएफ को क्यों बनाए रखना चाहिए

11.8 उपरोल्लिखित तर्क-वितर्क से यह प्रकट है कि इस बफर निधि को बनाए रखने से होने वाले फायदे इसके नुकसानों से कहीं ज्यादा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि, वित्तीय दबाव के समय मोचन देयताओं को पूरा करने में राज्यों द्वारा अनुरक्षित बफर निधियों से काफी हद तक सहायता मिली। समिति ने यह भी पाया कि अपने राज्य स्तरीय उपक्रमों की तरफ से राज्यों द्वारा गारंटी जारी करने में विगत वर्षों के दौरान काफी बढ़ोतरी रही जिससे राज्यों के लिए गारंटी मोचन निधि रखना अनिवार्य हो गया, ताकि आकस्मिक देयताओं को पूरा किया जा सके।

11.9 इसलिए यह महसूस किया गया कि राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को अपनी कुल बकाया देयताओं/गारंटियों के 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर पर बनाए रखना जारी रखना चाहिए। समिति का विचार है कि इसमें सहायता के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि निबंधनों और शर्तों को और भी उदार बना दिया जाए। समिति ने शेष राज्यों से भी पुरजोर तरीके से कहा कि समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि स्कीमों में शामिल हो जाएं, जिससे जरूरत के समय देयताओं की चुकौती करने हेतु निधि से आहरण और नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेलपन को दूर करने हेतु विशेष आहरण सुविधा लेने में भी सहायता मिलेगी।

**सिफारिशें**

11.10 राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने और सीएसएफ और जीआरएफ में संचय हेतु समिति निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करती है –

अभिलक्षण	विद्यमान प्रावधान	संस्तुत परिवर्तन
<b>सीएसएफ / जीआरएफ में न्यूनतम संग्रह</b>	सरकार शुरुआती वर्ष से पहले के वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के कम-से-कम 0.5 प्रतिशत के मामूली स्तर पर निधि में अंशदान करें और प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान को बढ़ाने का प्रयास करें।	न्यूनतम संचय निधि इस प्रकार से रहे 1) यथा अनुमेय कुल बकाया देयताओं / गारंटियों का कम से कम 5 प्रतिशत; 2) 5 वर्ष के भीतर जुटा ली जाए; 3) इसके बाद रोलिंग आधार पर बरकरार रखा जाए।
<b>सीएसएफ से आहरण</b>	क) सीएसएफ की स्थापना के बाद 5 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति है।	सीएसएफ की स्थापना के बाद 2 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति हो।
	ख) विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक निधि में जमा हुए और संचित ब्याज आय से आहरण की अनुमति है। ग) केवल बकाया देयताओं की चुकौती हेतु अनुमेय, जिनमें सरकार के अंतरिम ऋण और लोक-लेखा देयताएं शामिल हैं।	न्यूनतम संचय होने तक। कुल बकाया देयताओं के न्यूनतम 5% तक का संचय होने के बाद
	घ) आहरित रकम उस वर्ष में खुले बाजार से उधार के संबंध में देय मोचन की रकम से अधिक नहीं होगी।	आहरण की प्रमात्रा को उस वर्ष हेतु बाजार उधारियों के मोचन की रकम के बराबर ही आहरण को सीमित रखने की शर्त को हटाया जा सकता है। राज्यों को अनुमति दी जाए कि वे बकाया देयताओं, जिनमें सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं, शामिल हैं, की चुकौती हेतु निधि में (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) संचित और जमा हुए ब्याज की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं।

<sup>23</sup> बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

11.11 सीएसएफ/जीआरएफ योजना में प्रचलित प्रावधान के अनुसार यह आवश्यक है कि सीएसएफ/जीआरएफ से समयपूर्व विनिवेश के मामले में राज्य सरकारों के परामर्श से नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों का चयन किया जाए। समिति यह प्रस्ताव करती है कि परिचालनगत सुविधा को देखते हुए इस शर्त को हटा दिया जाए और रिज़र्व बैंक को यह अनुमति दी जाए कि नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय करे, बशर्ते नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियां विक्रय के समय पर लाभ में हों। तदनुसार समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि (जीएसएफ) योजनाओं में संशोधन किया जाए।

11.12 समिति ने पाया कि राज्यों द्वारा आकस्मिक देयताओं (सीएसएफ) और (जीएसएफ) संबंधी आंकड़ों की परिशुद्धता किया जाना आवश्यक है। उनके लिए यह भी जरूरी है कि क्षेत्रवार गारंटियों से संबद्ध डाटा के बारे में डाटा संग्रह, प्रकटन और रिपोर्टिंग में सुधार भी करें।

### कोविड-19 के कारण अंतरिम उदारीकरण

11.13 कोविड-19 महामारी के कारण और उसके फैलाव पर काबू पाने के लिए राज्यों को अभूतपूर्व उपाय करने पड़े जिससे राज्य सरकारों पर भारी खर्च आ पड़ा है। इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय दबाव में राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक ने सीएसएफ योजना की समीक्षा की और निर्णय किया कि सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में अस्थायी रूप से ढील दी जाए। तदनुसार, राज्यों को अनुमति दी गई कि वे मार्च 2020 के अंत तक अपने मूल बकाया शेष के कुछ भाग (मूलधन और इस पर बने ब्याज) का आहरण कर सकते हैं, जबकि इस निधि में न्यूनतम शेष भी बनाए रखा जाए। इस ढील से राज्यों को अपनी मोचन देयताएं चुकाने के लिए अतिरिक्त निधियां मिल गईं। यह अतिरिक्त धनराशि और साथ में समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) के तहत आहरण योग्य अनुमेय सीमा से यह अपेक्षा थी कि इससे राज्य 2020-21 में देय अपनी बाजार उधारियों के मोचन का 45 प्रतिशत पूरा कर सकेंगे। आहरण मानदंडों में यह अंतरिम परिवर्तन 22 मई 2020 से प्रभावी हुआ और 31 मार्च 2021 तक विधिमान्य रहा।

## XII. राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा

12.1 समिति ने राज्य सरकारों द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा की। समिति का यह निष्कर्ष रहा कि न्यूनतम नकदी शेष को बढ़ाने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता है, क्योंकि न्यूनतम शेष से ऊपर जितना भी नकदी अधिशेष है वह

स्वतः आईटीबी में निविष्ट हो जाता है, जिससे राज्यों की रिटर्न्स जनरेट होती है। तदनुसार समिति यह सिफारिश करती है कि राज्यों/ यूटी हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम शेष ₹42.33 करोड़ रखा जाए। इसका सारांश संलग्नक-2 में दिया गया है।

### XIII. सिफारिशें

1. मुख्य रूप से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव और व्यय में कटौती और खुले बाजार से अतिरिक्त उधारियों के मिश्रण के माध्यम से राज्य कोविड-19 से पैदा हुए राजकोषीय दबाव को संभालने में सक्षम रहे। समिति ने राज्य सरकारों के कुल व्यय के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का आकलन किया। व्यय-आधारित पद्धति अपनाने का औचित्य यही था कि राज्यों के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमा को संशोधित किया जाए। इस प्रकार आकलित सूत्र-आधारित संशोधित सीमा का आकार ₹47,010 करोड़ रहा। यह देखते हुए कि महामारी का प्रभाव अभी भी है और समिति ने जो सूत्र-आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा आकलन किया था वह अंतरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार रहा कि ₹51,560 करोड़ की यह अर्थोपाय अग्रिम सीमा आगे छह महीने अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक बरकरार रहे। इसके बाद महामारी की दशा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक उस समय राज्यों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद या तो इस समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति के आधार पर या जैसा भी आवश्यक हो इस सीमा की समीक्षा करे।

2. समिति यह भी संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा(एसडीएफ)/अर्थोपाय अग्रिम /ओडी पर ब्याज की वर्तमान दर को बनाए रखा जाए।

3. समिति यह प्रस्ताव करती है कि ओडी विनियमन<sup>24</sup> जारी रहें और ओडी पर अंतरित रियायत<sup>25</sup> 31 मार्च 2021 तक समाप्त कर दी जाए।

4. समिति यह संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा को, बिना किसी उच्चतर सीमा के, जी-सेक/एटीबी और सीएसएफ में किए गए निवेश और जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों की जमानत के बदले में आकलित करना जारी रखा जाए, और इस पर 5 प्रतिशत का सामान्य हेयरकट मार्जिन लागू किया जाए।

<sup>24</sup> जैसा कि 29 जनवरी 2016 को जारी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की योजना के बारे में आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में ओडी विनियमों का विवरण दिया गया है।

<sup>25</sup> ओडी सुविधा में अंतरिम रियायत 7 अप्रैल 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की गई थी ताकि किसी राज्य के ओडी में बने रहने के दिनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। इसे 14 से बढ़ाकर निरंतर 21 दिन और एक तिमाही में 36 से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमन्य रहेगी।

5. समिति यह संस्तुति करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिलों) में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने पर परिसीमन<sup>26</sup> को हटा दिया जाए और राज्यों को 90 दिन के प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय टी-बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश करने से पहले प्राप्त की गई विशेष आहरण सुविधा/अर्थोपाय अग्रिम की पूर्ण चुकौती कर दी गई हो। इसी प्रकार इस विद्यमान शर्त को भी हटा दिया जाए कि राज्यों को अपने नकदी अतिशेष को नीलामी खजाना बिलों (एटीबी)<sup>27</sup> में निवेश करने के राज्यों को अनुमति तभी होगी जब उन्होंने तत्काल ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। तथापि, राज्य यह सावधानी रखें कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में अपने नकदी शेष का निवेश करने के बाद विशेष आहरण सुविधा नहीं प्राप्त करें। यदि ऐसी अवस्था बनती है तो रिज़र्व बैंक ऐसे उपाय करे जो ऐसे क्रियाकलापों को बाधित करने के लिए आवश्यक हों।

6. समिति इस तथ्य पर जोर देती है कि सीएसएफ/ जीआरएफ आरक्षित निधियां हैं, जिनकी स्थापना एक विशेष प्रयोजन से राज्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से की गई है और इनको बढ़ाते रहने की जरूरत है। इसलिए, समिति अनुरोध करती है कि शेष राज्य सीएसएफ/ जीआरएफ स्कीम में शामिल हो जाएं, जिससे कि जरूरत के समय देयताओं की चुकौती हेतु इस निधि से आहरण की सुविधा मिले, और नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल का प्रबंधन करने के लिए विशेष आहरण सुविधा भी मिले।

7. समिति यह संस्तुति करती है कि सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा, आगामी पाँच वर्ष के भीतर, एक न्यूनतम संचय किया जाए और इसके बाद इसे आवर्ती आधार पर बनाए रखा जाए। राज्य अपने विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया कुल देयताओं/गारंटियों का कम-से-कम 5 प्रतिशत का न्यूनतम संचय में रखें।

<sup>26</sup> यदि कोई राज्य, पहली बार, 91- दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करता है, तो इस क्रियाकलाप की अनुमति एक सीमित अवधि हेतु होगी, लेकिन राज्य को अगले 90 दिन तक 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करके बाद में 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की यह मनमानी परिपाटी वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी बार और बाद में बनी रहती है, तो पहले अवसर के बाद से प्राप्त किए गए एसडीएफ को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

<sup>27</sup> एटीबी में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।



8. समेकित ऋण-शोधन निधि से आहरण हेतु अवरुद्धता अवधि के संबंध में समिति यह संस्तुति करती है कि इस निधि की स्थापना करने से 5 वर्ष की वर्तमान अवरुद्धता अवधि के स्थान पर 2 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति रहेगी।
9. सीएसएफ योजना से वर्तमान की इस शर्त को हटा दिया जाए कि सीएसएफ से आहरण की मात्रा वही रहेगी जो उस वर्ष में बाजार से लिए गए उधारों के मोचन के लिए देय है। बकाया देयताओं<sup>28</sup> की चुकौती हेतु इस निधि में संचित और जमा (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) ब्याज की कुल मात्रा का प्रयोग करने की अनुमति राज्यों को दी जाए।
10. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार न्यूनतम संग्रह राशि जुटा लेने के बाद 5 प्रतिशत की न्यूनतम संग्रह राशि से अतिरिक्त जमा हुई राशि सीएसएफ<sup>29</sup> से आहरित करने की अनुमति राज्यों को दी जाए। इससे राज्य अपनी बकाया देयताओं की चुकौती हेतु न्यूनतम अपेक्षा से अधिक निविष्ट निधियों का प्रयोग कर सकेंगे।
11. सीएसएफ के मामले में राज्यों को विद्यमान विकल्प मिलता रहेगा कि वे इस निधि में संचित और संग्रहीत ब्याज का आहरण कर सकेंगे, और वे एकल अवसर पर आहरण के दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे।

12. सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं में वर्तमान के इस प्रावधान को परिचालन सुविधा को देखते हुए हटाया जाए, जिसमें यह अनिवार्य है कि सीएसएफ/जीआरएफ में से समय-पूर्व विनिवेश के मामले में प्रतिभूतियों के चयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए। नकदीकृत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेने की अनुमति रिजर्व बैंक को हो, बशर्ते विनिवेश के लिए चुनी गई प्रतिभूतियां बिक्री के समय लाभ दे रही हों।
13. तदनुसार राज्य अपनी-अपनी सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में संशोधन करें और इसे अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करें, ताकि वे सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में उक्त रियायतों के लाभ ले सकें।
14. समिति यह संस्तुति करती है कि राज्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम शेष को वर्तमान में संशोधित नहीं किया जाए और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु विभेदीकृत न्यूनतम शेष रखने की प्रणाली को बनाए रखा जाए क्योंकि इसे अब तक संतोषप्रद पाया गया है (संलग्नक-2)। समिति का यह मानना है कि न्यूनतम नकद शेष की सीमा को बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है और यह उद्देश्य के विपरीत है क्योंकि राज्यों के नकदी प्रवाह/ बजटगत लेनदेन के अनुसरण में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक रूप से उच्चतर की ओर संशोधित किया जाता है।

<sup>28</sup> बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

<sup>29</sup> यह विकल्प राज्यों को सक्षम करेगा कि वे सीएसएफ के कुल संग्रह में से कितनी भी रकम का आहरण कर लें, जिसमें 'कुल संग्रह' में विगत वर्ष के अंत में किए गए मूल योगदान, पुनर्निवेश और निधि में ब्याज के संचय शामिल होंगे।

**संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (जारी)**

(राशि करोड़ में)

मदें	विट्टल समिति से ठीक पहले	विट्टल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
<b>सामान्य अर्थोपाय अग्रिम</b>						
<b>अर्थोपाय अग्रिम सीमा की संगणना हेतु पद्धति</b>	राज्यों की शेष रकमों के न्यूनतम का 168 गुणा बताया गया	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.25% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.75% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.4% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.9% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के केवल राजस्व प्राप्तियों का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.19% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.84% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का औसत तदर्थ व्यय हेतु समायोजित करते हुए जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.1% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 4.1% से गुणा करने पर	राज्यों के कुल व्यय का औसत (राजस्व व्यय में पूँजीगत व्यय को जोड़ते हुए) इसमें लॉटरी व्यय शामिल नहीं हैं। एचएस एव एनईएस और अन्य राज्यों के लिए राज्यवार अर्थोपाय अग्रिमों का आकलन 2.78 प्रतिशत और 2.03 प्रतिशत का अनुपात रख कर निर्धारित किया गया।
<b>सकल अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं</b>	2,234	3,941	5,283	7,170	9,875	32,225
<b>i) अविशेष वर्ग</b>	2,033	3,589	4,794	6,445	8,820	28,035
<b>ii) विशेष वर्ग</b>	202	352	489	725	1,055	4,190

## संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (जारी)

(राशि करोड़ में)

मदें	विद्वल समिति से ठीक पहले	विद्वल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
<b>विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)</b>						
<b>संगणना की सीमा (मार्जिन)</b>	सीमाओं को न्यूनतम शेष के 64 गुणा रखा गया था।	जी-सेक में निवेश 15 %* 10 %**	जी-सेक में निवेश 15 %* 10 %**	जी-सेक में 5 प्रतिशत समसमान रूप से निवेश	भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेश इसके अलावा सीएसएफ और जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश जो एनडब्ल्यूएमए की अधिकतम सीमा तक दो।	विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) की परिचालन सीमा के निर्धारण हेतु प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत मार्जिन का सम-समान हेयरकट लागू होगा। तदनुसार राज्यों हेतु विशेष आहरण सुविधा की सीमा में बकाया प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के आधार पर परिवर्तन होगा।
<b>विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का प्रयोग</b>	सामान्य अर्थोपाय अग्रिमके बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना

संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (समाप्त)

(राशि करोड़ में)

मदें	विट्टल समिति से ठीक पहले	विट्टल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
<b>ओवरड्राफ्ट (ओडी)</b>						
सतत कार्य दिवसों की संख्या	10	10	12	14	14	14
एक तिमाही में दिनों की संख्या	-	-	-	36	36	36
सतत कार्य-दिवसों की संख्या जब एनडब्ल्यूएमए सीमा से आधिक्य होने पर हो	-	3	5	5	5	5

\* 10 वर्ष से अधिक की शेष बची परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

\*\* 10 वर्ष से कम की शेष बची परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट

**संलग्नक 2 : राज्य सरकारों का न्यूनतम नकदी शेष : एक समीक्षा**

रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21-ए के तहत हुए समझौते के अनुसार राज्यों के साथ समय-समय पर की गई सहमति के अनुसार राज्यों को रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम नकदी रखनी होती है और रिज़र्व बैंक एक निश्चित सीमा तक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। पहली बार यह न्यूनतम शेष 1 अप्रैल 1937 (1 अप्रैल 1938 से प्रभावी) को निर्धारित किया गया था तथा संबंधित प्रान्तीय सरकार के कुल राजस्व और व्यय तथा पूर्व प्रांतीय स्वायत्त केंद्र सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अनुपात के आधार पर था (विगत 3 साल के डाटा के आधार पर)। इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम शेषों से वे सीमाएं भी व्यक्त होती हैं जितने तक राज्यों द्वारा रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिया जा सकता था।

बाद के वर्षों में राज्यों के लिए न्यूनतम शेष की समीक्षा हुई और इन्हें उदार<sup>30</sup> बनाया गया, क्योंकि यह पाया गया था कि राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय के संबंध में ये अपर्याप्त थीं। न्यूनतम नकदी शेष को, जब भी संशोधित किया गया, तब इसने राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा में संशोधन का आधार बनाया, क्योंकि इसे न्यूनतम शेष के एक गुणक के रूप में निर्धारित किया गया था। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अलावा अप्रैल 1953 से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ़) भी परिचालन में है।

नकदी शेष और अर्थोपाय अग्रिम सीमा की व्यापक समीक्षा 1998 में विट्टल समिति द्वारा की गई। इसके पहले अर्थोपाय अग्रिम की सीमा राज्यों के न्यूनतम शेष का 168 गुणा थी। विट्टल समिति ने पाया कि एक अपरिवर्तित न्यूनतम शेष के गुणक के तौर पर अर्थोपाय अग्रिम सीमा का निर्धारण करना, जैसा कि विगत में किया गया, राज्यों के बजटीय लेनदेन में संवृद्धि के अनुरूप ही उनकी अलहदा जरूरतों को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए समिति ने प्रस्ताव किया कि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को राज्य के नकदी प्रवाह से सहबद्ध किया जाए और सुझाव दिया कि कुल व्यय (अर्थात राजस्व और पूंजीगत) में से राजस्व घाटे को घटाकर उसे नकदी प्रवाह के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाए।

<sup>30</sup> ऐतिहासिक संशोधनों के विवरण राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसके अध्यक्ष श्री सुमित बोस थे।

विट्टल समिति के अनुसार, सभी राज्यों के लिए न्यूनतम शेष ₹41.04 करोड़ बना (₹37.97 करोड़ अविशेष श्रेणी के राज्यों हेतु और ₹3.08 करोड़ विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु)। पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेशों को मिला लेने के बाद न्यूनतम शेष ₹0.15 करोड़ (17 दिसम्बर 2007 को) और ₹1.14 करोड़ (1 अप्रैल 2011) से बढ़कर क्रमशः ₹41.19 करोड़ और ₹42.33 करोड़ हो गया।

विट्टल समिति (1999) के बाद से राज्यों का न्यूनतम शेष अपरिवर्तित ही रहा है। वर्तमान में यह सभी राज्यों के लिए ₹42.33 करोड़ निर्धारित है, जिसे द्विभाजित करके ₹4.38 करोड़ जम्मू और कश्मीर सहित एचएस और एनईएस राज्यों के लिए तथा अन्य राज्यों के लिए ₹37.95 करोड़ रखा गया है। इसमें से जम्मू और कश्मीर को अलग रखा जाए तो प्रभावी न्यूनतम नकदी शेष ₹41.19 करोड़ बनता है – ₹3.24 करोड़ एनई और एचएस हेतु तथा ₹37.95 करोड़ अन्य राज्यों के लिए।

राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक के पास एक न्यूनतम शेष रखें। यह शेष राज्यों के बजट के आकार और आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होता है। तदनुसार, राज्यों के लिए कुल व्यय और राजस्व के सापेक्ष उनके बजट के आकार (अलग-अलग राज्यों के लिए व्यय और राजस्व) विभेदीकृत न्यूनतम शेष पिछली बार 1999 में निर्धारित किया गया था, और इसे अर्थोपाय अग्रिम के साथ संबद्ध कर दिया गया था, ताकि राज्यों की अलग-अलग जरूरतों को प्रकट किया जा सके। तब से विभेदीकृत न्यूनतम शेष में बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की संगणना की पद्धति में बदलाव आया और यह प्राप्ति और व्यय के नकदी प्रवाह डाटा पर आधारित था जबकि पहले की पद्धति में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को न्यूनतम शेष के गुणक के रूप में अवकलित किया गया था। इसके अलावा राज्यों की जीएफडी के वित्तीयन का स्रोत लगातार बाजार से उधारियों की तरफ बढ़ता जा रहा था, इसलिए न्यूनतम नकदी शेष रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई क्योंकि अधिकांश राज्यों के पास अधिशेष नकदी रहने लगी, जिसका स्वतः केन्द्र सरकार की आईटीबी/एटीबी में निवेश हो जाता है।

समिति ने न्यूनतम शेष का संशोधन करने पर विचार विमर्श किया और यह निष्कर्ष दिया कि न्यूनतम नकदी शेष को बढ़ाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि न्यूनतम शेष से अधिक रखा गया न्यूनतम शेष स्वतः केन्द्र सरकार की आईटीबी/एटीबी में निवेश हो जाता है, जिससे राज्यों को प्रतिलाभ मिलने लगता है।

तदनुसार यह निर्णय किया गया कि राज्यों / यूटी के लिए जो कुल न्यूनतम शेष निर्धारित किया गया है वह ₹42.33 करोड़ पर अपरिवर्तित रखा जाए (तालिका 8)।

**तालिका 8 : राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों हेतु न्यूनतम नकदी शेष और अर्थोपाय अग्रिम सीमा**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संशोधन की तारीख	न्यूनतम शेष (सभी राज्यों का जोड़)	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं (न्यूनतम शेष के गुणक में)	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)
1	1 अप्रैल 1937 (1 अप्रैल 1938 से प्रभावी)	1.95	1 (1.95)	*
2	1 अप्रैल 1953 (भाग ए/ भाग बी राज्य)		2 (7.88)	2.00 प्रत्येक राज्य हेतु
3	1 मार्च 1967	6.25	3 (18.75)	6 (37.50)
4	1 मई 1972	6.50 +	12 (78.0)	6 (42.66)
5	1 मई 1976	13	10 (130.0)	10 (130.0)
6	1 अक्टूबर 1978	13	20 (260.0)	10 (130.0)
7	1 जुलाई 1982	13	40 (520.0)	20 (260.0)
8	1 अक्टूबर 1986			
	क) अप्रैल – सितम्बर	13	52 (676.0)	20 (260.0)
	ख) अक्टूबर – मार्च	13	48 (624.0)	20 (260.0)
9	1 मार्च 1988	13.30 ##	56 (744.80)	20 (266.0)
10	1 नवम्बर 1993	13.3	84 (1,117.20)	32 (425.60)
11	1, अगस्त 1996	13.3	168 (2,234.40)	64 (852.20)
12	1 मार्च 1999	41.04 **	3,941.00 #	++
13	1 फरवरी 2001	41.04	5,283.00	++
14	1 अप्रैल 2002	41.04	6,035.00	++
15	1 अप्रैल 2003	41.04	7,170.00	++
16	1 अप्रैल 2005	41.04	8,935.00	++
17	1 अप्रैल 2006	41.04	9,875.00	++
18	17 दिसम्बर 2007	41.19 ***	9,925.00	++
19	1 अप्रैल 2011	42.33 ****	10,240.00	++
20	11 नवम्बर 2013	42.33	15,360.00	++
21	20 नवम्बर 2015	42.33	32,225.00	++
22	26 मार्च 2018	42.33	32,225.00	++

\* प्रतिभूत अर्थोपाय अग्रिमों को समय समय पर तदर्थ आधार पर दिया गया था।

+ सन 1967 के आंकड़ों की तुलना में ₹0.25 करोड़ की बढ़ोतरी चार राज्यों – यथा – हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए न्यूनतम शेष के निर्धारण के कारण रही। अन्य राज्यों के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया।

\*\* अर्थोपाय अग्रिम वाले आधार से ही संबद्ध करते हुए न्यूनतम शेष को ऊपर की तरफ संशोधित किया गया।

++ विशेष अर्थोपाय अग्रिम हेतु सीमाओं को उदार बनाया गया, विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं, जो कि मार्जिन की शर्त के आधार केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों की वास्तविक धारित के बदले दिया जा रहा है।

# मार्च 1999 में अनुमेय रकम आइएसी की सिफारिशों के आधार पर ₹3685 करोड़ थी। बिहार, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के विभाजन पर नवम्बर 2000 से छह मान्यता प्राप्त राज्यों को अंतरिम सीमाएं प्रदान की गईं।

## गोवा के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष में ₹ 0.30 करोड़ बढ़ गए।

\*\*\* पुदुचेरी यूटी के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष में ₹0.15 करोड़ बढ़ गए।

\* जम्मू और कश्मीर के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष ₹1.14 करोड़ बढ़ गया।

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट

## संलग्नक 3 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओडी पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति (जारी)

क्र. सं.	अवधि	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)	ओडी
1	2	3	4	5
1.	मार्च 1967 से पहले	बैंक दर से 1% कम	i) ₹50 लाख तक – बैंक दर से 0.25% कम ii) ₹51 लाख से ₹125 लाख तक – समस्त रकम पर बैंक दर से ½% कम iii) ₹125 लाख से अधिक – समस्त रकम पर बैंक दर	बैंक दर
2.	मार्च 1967 से अप्रैल 1976 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर
3.	मई 1976 से अगस्त 1996 तक	i) प्रथम 90 दिन - बैंक दर से 1% कम ii) 91-180 दिन - बैंक दर से 1% अधिक iii) 180 दिनों से अधिक - बैंक दर से 2% अधिक	i) प्रथम 90 दिन - बैंक दर से 1% कम ii) 91-180 दिन - बैंक दर से 1% अधिक iii) 180 दिन से अधिक - बैंक दर से 2% अधिक	i) 7 दिनों के लिए - बैंक दर ii) 8वें दिन के बाद से - बैंक दर से 3% अधिक
4.	अगस्त 1996 से 15 जनवरी 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 3% जोड़कर
5.	16 जनवरी 1998 से 18 मार्च 1998 तक	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर से
6.	19 मार्च 1998 से 2 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 0.5% अधिक
7.	3 अप्रैल से 28 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% अधिक
8.	29 अप्रैल 1998 से नवम्बर 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 2% अधिक
9.	विट्टल समिति – नवम्बर 1998	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 2% जोड़कर
10.	राज्य वित्त सचिवों का समूह - जनवरी 2001	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 2% जोड़कर

**संलग्नक 3 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओडी पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति (समाप्त)**

क्र. सं.	अवधि	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)	ओडी
1	2	3	4	5
11.	रामचन्द्रन समिति – जनवरी 2003	1-90 दिन की अवधि हेतु बैंक दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु बैंक दर से 1% अधिक	बैंक दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर बैंक दर से 3% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर बैंक दर से 6% अधिक
12.	बेजबरुआ समिति – अक्टूबर 2005	1-90 दिन की अवधि हेतु रेपो दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु रेपो दर से 1% अधिक	रेपो दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर रेपो दर से 2% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर रेपो दर से 5% अधिक
13.	सुमित बोस समिति -जनवरी 2016	1-90 दिन की अवधि हेतु रेपो दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु रेपो दर से 1% अधिक	रेपो दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर रेपो दर से 2% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर रेपो दर से 5% अधिक

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट



## संलग्नक 4 : राज्यों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21*	
	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी
आन्ध्र प्रदेश	2707	500	3703	0	0	0	0	0	5137	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1201	0	277	0	313	0	673	0	1416	0	1840	0
असम	6135	1400	3802	1400	937	0	8324	0	2933	0	6079	0
बिहार	8194		12997	0	17391	0	14787	0	17584	0	11402	0
छत्तीसगढ़	1858		2514	0	4075	0	9773	0	5250	5000	4436	4550
गोवा	255	0	342	0	148	0	343	0	342	0	604	0
गुजरात	7951		11700	0	4137	0	5837	0	9289	0	10414	0
हरियाणा	4089	0	2471	0	2001	0	638	0	2249	0	3025	0
हिमाचल प्रदेश	557	0	759	0	724	0	102	0	982	0	1601	3100
जम्मू और कश्मीर	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	2102	0	1439	0	355	0	168	0	3071	0	2714	0
कर्नाटक	16949		24012	0	12674	0	5149	0	13652	0	33903	12000
केरल	1643	0	1950	0	887	0	188	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	9503	0	10643	0	7423	0	8651	0	11280	0	21177	0
महाराष्ट्र	21529	15000	32344	12000	43446	15000	9371	26000	14120	0	21105	10000
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
मेघालय	273	0	1375	0	1686	0	1076	0	807	0	396	0
मिजोरम	155	0	443	0	461	0	163	0	295	0	15	0
नगालैन्ड	0	0	35	0	63	0	135	0	0	0	0	0
ओडिशा	5786		8685	0	13314	12050	8945	15100	8034	17370	11391	16665
पुदुचेरी	494	505	806	280	526	715	405	888	582	700	974	806
पंजाब	5180	0	0	0	0	0	469	0	804	0	864	0
राजस्थान	2916	3000	5585	2517	6402	2974	2154	3792	5808	1800	3926	2000
तमिलनाडु	9443	5569	15181	19306	11278	31369	11038	27347	10171	8634	11245	19762
तेलंगाना	2509	0	53	0	2281	0	1591	0	6911	0	0	0
त्रिपुरा	1354	1300	804	1100	1207	0	432	800	933	0	1938	0
उत्तर प्रदेश	615		1205	0	10173	0	25435	0	19880	0	31383	0
उत्तराखंड	345	0	452	0	386	0	248	0	0	0	2354	0
पश्चिम बंगाल	6794	0	12481	0	8584	0	5989	0	13170	0	5574	0
<b>जोड़</b>	<b>120582</b>	<b>27274</b>	<b>156059</b>	<b>36603</b>	<b>150871</b>	<b>62108</b>	<b>122084</b>	<b>73927</b>	<b>154757</b>	<b>33504</b>	<b>188360</b>	<b>68883</b>

\*: फरवरी 2021 के अंत की स्थिति के अनुसार

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक 5 : आईटीबी में औसत निवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)
आन्ध्र प्रदेश	1288	1271	1443	1379	1959	2289
अरुणाचल प्रदेश	814	1263	1133	1865	1978	2394
असम	4644	7601	5361	4619	5035	4733
बिहार	8691	14250	13504	18441	17371	12379
छत्तीसगढ़	936	1947	3451	3538	2425	2243
गोवा	61	133	178	169	265	177
गुजरात	6670	7778	9839	5866	6642	6695
हरियाणा	3696	3478	2554	2424	2503	2637
हिमाचल प्रदेश	644	732	1440	1169	1101	792
जम्मू और कश्मीर	528	431	447	533	568	1073
झारखंड	2054	2234	2093	989	2303	3249
कर्नाटक	6354	7553	8355	7799	5983	14558
केरल	1146	1828	1109	1234	919	1148
मध्य प्रदेश	5083	9286	12678	4072	4557	9432
महाराष्ट्र	7328	13367	16919	14361	13438	11299
मणिपुर	402	245	385	450	271	208
मेघालय	651	795	1158	1300	738	490
मिजोरम	260	541	649	732	347	200
नगालैन्ड	139	148	223	193	181	91
ओडिशा	4693	6043	10567	9177	9121	11737
पुदुचेरी	267	255	366	322	383	395
पंजाब	507	990	399	470	586	1043
राजस्थान	3526	4362	5514	4802	2649	2655
तमिलनाडु	9035	11141	10256	10757	9610	16412
तेलंगाना	2035	1286	1030	1171	1157	2665
त्रिपुरा	1047	779	961	960	569	1133
उत्तर प्रदेश	2819	5239	11684	19393	17878	14672
उत्तराखंड	759	651	545	493	939	1024
पश्चिम बंगाल	1982	5043	7272	3115	3464	3763
<b>जोड़</b>	<b>78059</b>	<b>110670</b>	<b>131513</b>	<b>121793</b>	<b>114940</b>	<b>131586</b>

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

## संलग्नक : 6 एटीबी में औसत निवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)
आन्ध्र प्रदेश	1645	2122	811	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	1400	1400	1400	3151	3537	0
बिहार	400	5944	8193	9167	11837	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	217	5418	4499
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	3694	2036	3435	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	500	646	602	1200	2324
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	10528	12261	13829	11146	7569	18742
केरल	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	23905	24219	32333	39193	18364	18834
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नगालैन्ड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	2084	2688	5228	19861	21319	18254
पुदुचेरी	361	484	635	935	876	908
पंजाब	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	6577	6525	5538	5220	2013	1921
तमिलनाडु	9155	14835	25386	29158	14419	11964
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	2004	1615	1167	800	800	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	5000	3000	0	0
<b>जोड़</b>	<b>61753</b>	<b>74629</b>	<b>103601</b>	<b>122450</b>	<b>87352</b>	<b>77446</b>

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

**संलग्नक 7 : राज्य सरकारों / यूटी द्वारा लिए गए विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओडी की मासिक औसत स्थिति**  
(राशि करोड़ ₹ में)

माह	विशेष आहरण सुविधा	अर्थोपाय अग्रिम	ओडी	जोड़
दिसम्बर -17	27.77	44.82	11.04	83.64
जनवरी -18	42.29	73.21	17.02	132.53
फरवरी -18	24.02	68.26	21.1	113.39
मार्च -18	33.97	55.64	11.83	101.45
अप्रैल -18	9.92	42.31	4.92	57.16
मई -18	16.16	43.88	9.09	69.14
जून -18	33.22	41.22	3.24	77.69
जुलाई-18	46.1	35.78	3.06	84.95
अगस्त -18	12.08	40.39	10.07	62.65
सितम्बर -18	20.62	42.77	0.21	63.61
अक्तूबर -18	30.74	120.64	18.03	169.42
नवम्बर -18	22.21	76.83	5.12	104.17
दिसम्बर -18	27.08	131.95	22.08	181.12
जनवरी -19	21.25	88.22	15.21	124.69
फरवरी-19	24.19	98.98	18.81	141.98
मार्च-19	27.41	69.59	13.82	110.84
अप्रैल -19	25.75	93.73	42.42	161.91
मई -19	17.99	66.9	9.93	94.83
जून-19	48.19	99.53	28.1	175.83
जुलाई-19	94.03	42.85	2.58	139.47
अगस्त -19	47.64	22.24	0	69.88
सितम्बर -19	19.22	20.67	2.34	42.24
अक्तूबर -19	102.88	69.77	6.37	179.02
नवम्बर -19	86.48	87.77	13.01	187.28
दिसम्बर -19	112.61	77.9	9.85	200.36
जनवरी -20	83.33	70.05	21.79	175.18
फरवरी -20	139.46	70.5	10.61	220.58
मार्च -20	90.17	76.09	17.45	183.71
अप्रैल -20	14.14	24.28	0.11	38.44
मई -20	91.72	93.9	10.53	196.15
जून -20	140.08	80.66	12.06	232.81
जुलाई -20	130.19	126.69	4.81	261.7
अगस्त -20	151.64	167.58	19.87	339.1
सितम्बर -20	312.65	244.67	59.62	616.95
अक्तूबर -20	145.52	196.23	37.44	379.19
नवम्बर -20	220.91	160.97	35.27	417.15
दिसम्बर -20	153.1	115.59	20.52	289.21
जनवरी -21	83.98	125.91	30.07	239.96
फरवरी -21	85.11	143.87	60.36	289.34

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

## संलग्नक 8: व्यय आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा

	पूँजीगत व्यय			राजस्व व्यय			परिवर्तनशील मदों के लिए समायोजित कुल व्यय			औसत आधार	सूत्र- आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>I. अन्य राज्य (हिमालय क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा)</b>											
आन्ध्र प्रदेश	15745	16271	21820	116178	121214	128569	101562	135562	148931	128685	2252
बिहार	27322	29150	22529	94765	102624	124897	121266	128305	145818	131796	2272
छत्तीसगढ़	9743	10370	9144	48165	56230	64411	57347	66339	73233	65640	1056
गोवा	1642	2128	2163	8866	10543	11083	8717	11509	10782	10336	203
गुजरात	22833	26944	29793	103895	118060	132790	125937	143871	161840	143882	2518
हरियाणा	11378	14933	16062	68403	73257	77156	78758	87599	92304	86220	1464
झारखंड	12113	13804	12196	45086	50950	50255	56745	64343	61859	60982	1067
कर्नाटक	30085	35759	39147	131921	142482	164300	158968	176996	201817	179261	3137
केरल	11286	10289	9753	91096	99948	110316	93263	95899	99419	96193	1683
मध्य प्रदेश	32229	32463	30514	119537	130246	141577	150669	161578	167281	159843	2560
महाराष्ट्र	31826	27821	36594	213229	241571	267022	241872	266571	294897	267780	4686
ओडिशा	18900	22984	24652	65041	71837	85356	81953	93791	108732	94825	1576
पंजाब	45710	3112	3773	55296	62465	75404	71890	37757	49536	53061	1104
राजस्थान	29945	21957	20751	127140	145842	166773	154930	166274	185470	168891	2608
तमिलनाडु	46756	26720	30789	153195	167874	197201	197587	194058	225751	205799	3601
तेलंगाना	36773	30111	31347	81432	85365	97083	105503	92494	106309	101435	1728
उत्तर प्रदेश	76530	40597	68766	236592	266224	301728	301595	303140	369895	324877	5680
पश्चिम बंगाल	12534	19338	24583	133918	141077	156374	143923	154401	154468	150931	2641
<b>उप-जोड़ (I)</b>	<b>473350</b>	<b>384753</b>	<b>434377</b>	<b>1893755</b>	<b>2087808</b>	<b>2352295</b>	<b>2252486</b>	<b>2380487</b>	<b>2658343</b>	<b>2430439</b>	<b>41837</b>
<b>II. हिमालय क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्य</b>											
अरुणाचल प्रदेश	1550	3193	5748	9395	10900	12429	10816	13979	18008	14268	285
असम	6001	7947	11362	49363	55481	56899	53633	65134	67736	62168	1243
हिमाचल प्रदेश	6789	4258	5052	25344	27053	29429	30132	30587	32479	31066	656
मणिपुर	1494	1432	1731	8185	9274	9749	8766	10381	8774	9307	233
मेघालय	1321	1005	1507	8337	8423	10256	9629	9398	11745	10258	209
मिजोरम	938	2041	1909	6230	6881	7506	7156	8688	9401	8415	191
नगालैन्ड	1075	1275	1601	8664	10191	10920	5148	7520	10350	7673	245
त्रिपुरा	3318	1784	1482	8748	10357	11889	12029	12106	13313	12482	304
उत्तराखंड	5119	5991	6368	25271	29083	32196	25074	28624	29988	27895	602
<b>उप-जोड़ (II)</b>	<b>27605</b>	<b>28927</b>	<b>36759</b>	<b>149536</b>	<b>167643</b>	<b>181273</b>	<b>162383</b>	<b>186418</b>	<b>201794</b>	<b>183532</b>	<b>3968</b>
जम्मू और कश्मीर	8362	10378	8418	39812	40916	56090	32954	31953	46215	37040	1050
पुद्दुचेरी	447	395	316	5458	5807	6387	5903	6174	6682	6253	155
<b>जोड़ (सभी राज्य)</b>	<b>509764</b>	<b>424453</b>	<b>479870</b>	<b>2088562</b>	<b>2302175</b>	<b>2596044</b>	<b>2453725</b>	<b>2605031</b>	<b>2913034</b>	<b>2657263</b>	<b>47010</b>

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

**संलग्नक 9 : ब्याज दर में प्रवृत्तियां (जारी)**

	2015-16				2016-17				2017-18			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
रेपो दर (तिमाही के अंत में)	7.25	6.75	6.75	6.75	6.5	6.5	6.25	6.25	6.25	6	6	6
बैंक दर (तिमाही के अंत में)	8.25	7.75	8.25	7.75	7	7	6.75	6.75	6.5	6.25	6.25	6.25
खजाना बिल (भारत औसत)												
91	7.82	7.45	7.15	7.28	6.81	6.55	6.18	6.1	6.19	6.13	6.12	6.29
182	7.86	7.53	7.19	7.22	6.91	6.66	6.28	6.19	6.33	6.24	6.23	6.45
364	7.82	7.56	7.21	7.2	6.93	6.69	6.26	6.22	6.4	6.27	6.27	6.58
भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां भारत औसत (प्राथमिक नीलामी)	7.91	7.95	7.77	7.88	7.63	7.19	6.75	6.74	6.98	6.77	7.07	7.32
भारत सरकार प्रतिभूतियों के 10 साल के बेन्चमार्क का औसत (द्वितीयक बाजार)	7.84	7.78	7.67	7.8	7.46	7.15	6.56	6.65	6.58	6.52	6.97	7.66
14 दिवसीय – आईटीबी	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3.75	3.75	3.75
भारत औसत प्रतिफल (एसडीएल)	8.17	8.26	8.12	8.47	8.01	7.52	7.15	7.56	7.43	7.31	7.65	8.09

\*: फरवरी 2021 के अंत में

**संलग्नक 9 : ब्याज दर में प्रवृत्तियां (समाप्त)**

	2018-19				2019-20				2020-21			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
रेपो दर (तिमाही के अंत में)	6.25	6.5	6.5	6.25	5.75	5.4	5.15	4.4	4	4	4	4
बैंक दर (तिमाही के अंत में)	6.5	6.75	6.75	6.5	6	5.65	5.4	4.65	4.25	4.25	4.25	4.25
खजाना बिल (भारत औसत)												
91	6.3	6.76	6.85	6.51	6.26	5.51	5.04	4.99	3.49	3.24	3.22	3.26 *
182	6.63	7.05	7.11	6.58	6.32	5.73	5.2	5.23	3.64	3.43	3.37	3.50*
364	6.81	7.38	7.32	6.65	6.34	5.82	5.26	5.22	3.71	3.54	3.46	3.65 *
भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां भारत औसत (प्राथमिक नीलामी)	7.78	8.03	7.83	7.48	7.22	6.65	6.71	6.71	5.87	5.77	5.73	5.76*
भारत सरकार प्रतिभूतियों के 10 साल के बेन्चमार्क का औसत (द्वितीयक बाजार)	7.73	7.9	7.7	7.52	7.2	6.56	6.54	6.42	5.8	5.97	5.9	5.9*
14 दिवसीय – आईटीबी	4	4.25	4.25	4.25	3.5	3.15	2.9	2	1.35	1.35	1.35	1.35
भारत औसत प्रतिफल (एसडीएल)	8.14	8.55	8.41	8.23	7.84	7.15	7.15	7.14	6.58	6.29	6.49	6.51*

\*: फरवरी 2021 के अंत में

**संलग्नक 10 : मौद्रिक नीति की परिचालक पद्धति – भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था**

फरवरी 14, 2020 को क्रियान्वित संशोधित चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं<sup>31</sup>:

- 1) भारत औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) को मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के तौर पर रखा गया और इस कॉरिडोर की ऊपरी आबद्धता (उच्चतर सीमा) के रूप में कॉरिडोर मार्जिनल स्थायी सुविधा(एमएसएफ) दर को और न्यूनतर आबद्धता (न्यूनतम सीमा) के रूप में निश्चित दर पर रिवर्स रेपो दर को परिभाषित किया जाता रहा;
- 2) संघर्षी नकदी अपेक्षाओं के प्रबंधन हेतु मुख्य नकदी प्रबंधन के रूप में परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय सावधि रेपो/रिवर्स रेपो परिचालन, नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) अनुरक्षण चक्र के साथ-साथ अपनाया गया;
- 3) दैनिक तयशुदा दर वाले रेपो और चार 14-दिवसीय सावधि रेपो जिनका परिचालन पहले प्रत्येक पखवाड़े में किया जाता था, वापस ले लिए गए;
- 4) मुख्य चलनिधि परिचालन का समर्थन बारीक-संगति बिठाने वाले परिचालनों (ओवरनाइट / अधिक) से किया जाता है ताकि आरक्षित निधि अनुरक्षण अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन पर काबू रखा जा सके;
- 5) यदि अपेक्षित हो तो 14 दिवस से अधिक के दीर्घावधिक परिवर्तनीय दर पर रेपो / रिवर्स रेपो परिचालनों का संचालन किया जाए;
- 6) एकल प्राथमिक डीलरों(एसपीडी) को सभी ओवरनाइट चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में सीधे ही सहभागिता की अनुमति दी गई;
- 7) चलनिधि प्रबंधन की लिखतों में तयशुदा और परिवर्तनीय दर पर रेपो/ रिवर्स रेपो नीलामियां, आउटराइट ओपन मार्केट परिचालन (ओएमओ), फोरेक्स स्वैप्स और अन्य लिखतें जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि प्रणाली में सभी समय पर्याप्त चलनिधि है;
- 8) दैनिक मुद्रा बाजार परिचालनों की प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित किया गया ताकि दैनिक प्रवाह और साथ ही साथ रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालनों का स्टॉक प्रभाव और पखवाड़े के आधार पर बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि स्थितियों का मात्रात्मक आकलन एक पखवाड़े का अंतर रखते हुए प्रकाशित किया जाता है। संशोधित व्यवस्था में चलनिधि पूर्वानुमानों को प्रमुखता मिली है, तो केन्द्र के साथ राज्यों हेतु अर्थोपाय अग्रिम के सांकेतिक कैलेंडर का अनुपालन चलनिधि प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा।

<sup>31</sup> परिचालन पद्धति में कोविड-19 से संबद्ध परिवर्तनों और चलनिधि प्रबंधन के बारे में अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अध्याय IV में विस्तार से चर्चा की गई है।


### संलग्नक 11 : राज्य वित्त पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ

टैक्स हस्तांतरण के बारे में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों केन्द्र से संसाधनों के अंतरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगी। विभाज्य हिस्से के हस्तांतरण को 41 प्रतिशत पर बनाए रखने से संसाधनों के अंतरण में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता आ जाती है।

इसके बावजूद 2019-20 से ही से ही टैक्स हस्तांतरण में महत्वपूर्ण कमी रही, जो 2020-21 में भी बनी रही, प्रथमतया यह आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट के साथ-साथ इस विभाज्य पूल के बाहर रखे जाने वाले उप-करों और सरचार्ज के बढ़ते हुए हिस्से के कारण विभाज्य टैक्स पूल में हो रही कमी से चालित रही। उपकरों और सरचार्जों से 2000-01 में सकल टैक्स राजस्व का 3 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 15 प्रतिशत और 2020-21 में 23.5 प्रतिशत हो गया इससे विभाज्य पूल में कमी आई और इस प्रकार प्रभावी टैक्स हस्तांतरण का शेयर सकल टैक्स राजस्व के लगभग 30 प्रतिशत पर आ गया (चार्ट 5)। अनुदान बढ़ाकर 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से इसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है, खासकर राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से। अंतरणों के समग्र पूल में अनुदानों का हिस्सा, जो विभाज्य पूल की प्रतिशतता की बजाय निश्चित रकम के रूप में निर्धारित किया जाता है, यह निधि प्रवाह की प्रमात्रा और समयावधि की

पूर्वानुमेयता को बढ़ाता है, इस प्रकार राजस्व की अनिश्चितता को कमतर कर देता है। प्रोत्साहन / कार्यनिष्पादन आधारित अनुदानों पर फोकस करना अभूतपूर्व है और इसे राज्यों हेतु परिवर्तन के बीज के तौर पर देखा जा सकता है। उधार लेने की गुंजाइश से कम ही उधार लेने के रूप में राज्यों के कार्यनिष्पादन को देखते हुए, प्रोत्साहन आधारित अतिरिक्त उधारियों की तुलना में प्रोत्साहन आधारित अनुदानों को प्राथमिकता दी जाए। यद्यपि सरकार ने कहा है कि केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों की पुनः संरचना करते समय इन अनुदानों को सामान्य धारणा के तहत लिया जाएगा, इनमें से कुछ नई स्कीमों का सुझाव 15वें वित्त आयोग ने दिया है जैसे कि ठोस आंकड़े देने पर, जैसा कि ब्राजील में हो रहा है, राज्यों को प्रेरित किया जाए, इससे आने वाले समय में प्रभावी नीति तैयार करने में काफी मदद रहेगी। 'एक सीमा से नीचे' वाली मदों के बारे में डाटा में पारदर्शिता होने से वित्तीय बाजारों को यह मदद मिलती है कि वे परिशुद्ध रूप में किसी राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकें और वस्तुतः इससे बाजारों में परितोष मिल सकता है, केन्द्र इसका एक उदाहरण है, जहां अभी हाल ही के बजट में बढ़ी हुई पारदर्शिता को बाजारों में समर्थन मिला।

चार्ट 5 : राज्यों को संसाधनों का अंतरण





पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रदत्त रोडमैप में कुछ लोचशीलता रखी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए बजटगत 2.8 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी अनुपात के बदले में वास्तविक आंकड़े जीडीपी का 4.5 प्रतिशत हो सकते हैं, क्योंकि इस महामारी से संबंधित उच्चतर व्यय और संवृद्धि में संकुचन के कारण न्यूनतर राजस्व ने राज्यों के राजकोष को कमजोर कर दिया है। जीएफडी-जीडीपी के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत का अनुपात लेते हुए

15वें वित्त आयोग के राजकोषीय रोडमैप को जैसा केन्द्रीय बजट में स्वीकार कर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि संसाधनों में अचानक ही कोई गिरावट नहीं हो। वर्ष 2023-24 के बाद ही 3.0 प्रतिशत के लक्ष्य की तरफ लौटा जाएगा। वित्त आयोग ने एक और भी रियायत दी है कि इन राज्यों को अनुमति दी है कि अवार्ड अवधि के भीतर विगत वर्षों के दौरान उपभोग किए गए किसी भी उधारी दायरे का उपभोग करके उससे कैपेक्स को आगे बढ़ाएं।

**संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)**

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
अर्थोपाय अग्रिम सीमा	विद्यमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा – ₹32,225 करोड़	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम/ओडी सुविधा महत्त्वपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि अप्रत्याशितता और भारत सरकार से अपेक्षा से कम संसाधनों के अंतरण के कारण बारंबार नकदी असंतुलन हो जाते हैं।</li> <li>अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण संसाधनों की उपलब्धता पर पड़े दबाव के कारण राज्य सरकार भी बड़े दबाव का सामना कर रही है।</li> <li>राज्यों की निर्भरता विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम/ओडी पर बढ़ने की संभावना है और रिजर्व बैंक को चाहिए कि राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम की रियायती मात्रा देने पर विचार करे।</li> <li>राज्यों की जीएसडीपी के 1% के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में संशोधन किया जाए।</li> <li>समिति विचार करे कि वर्तमान के 90 दिन के स्थान पर 120 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम की अनुमति रेपो दर पर दी जाए।</li> <li>टैक्स राजस्व में अभी बहाली होनी है, जबकि राज्य के व्यय निरंतर बढ़ रहे हैं; ज्यादातर तो महामारी संबंधी व्यय के कारण।</li> <li>कुल व्यय आधार पर आधारित सीमाओं में संसाधन उचित प्रतीत होता है।</li> </ol>	<p>समिति ने प्रस्ताव किया कि ₹51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी छह माह अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखी जाए। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक सामने आने वाली आर्थिक स्थिति और राज्यों की जरूरतों के अनुसार इस सीमा की समीक्षा करे।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) में अर्थोपाय अग्रिम को ऐसे अग्रिमों के तौर पर परिभाषित किया है, जो प्रत्येक मामले में 3 माह के भीतर ही चुकता किए जाने हैं। इसलिए 3 माह के बाद भी बकाया रहने वाले अर्थोपाय अग्रिमों पर रेपो दर में 1 प्रतिशत जोड़ते हुए दंडात्मक दर लगाई जाती है।</p>

## संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
अर्थोपाय अग्रिम सीमा	राज्यों के कुल व्यय को आधार मानते हुए विद्यमान सीमाओं की संगणना की गई है।  अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की संगणना हेतु विगत सलाहकार समिति ने 2.03% के अनुपात पर विचार किया है।	<p>9. हालांकि, इस महामारी जनित मंदी ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है, और इससे बहाली कुछ धीमी रहने की आशंका है।</p> <p>10. इसलिए, राज्यों हेतु नई अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं तय करते समय, आगामी 5 वर्ष के लिए अथवा सभी राज्यों द्वारा संवृद्धि रेखापथ पर आ जाने तक, राज्यों के औसत कुल व्यय पर 3% (बजाय 2.03% के) का अनुपात लगाया जाए अथवा कम से कम 2.03% के अनुपात को ही रखा जाए।</p> <p>11. वर्ष 2020-21 (संशोधित अनुमान) के स्थान पर 2018-19, 2019-20 और 2021-22 (बजट अनुमान) के वार्षिक व्यय पर विचार किया जाए क्योंकि वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण अपवादात्मक वर्ष है और हो सकता है कि इस वर्ष का व्यय राज्यों द्वारा अपने अल्पावधि नकदी संकट को पूरा करने के लिए अपेक्षित एसडीएल की असल मात्रा को न दर्शा पाए।</p> <p>12. अर्थोपाय अग्रिम सीमा को तय करने के लिए गुणक तत्त्व को उच्चतर स्तर पर रखा जाए।</p>	समिति द्वारा विधिवत चर्चा के बाद विद्यमान पद्धति को बनाए रखा गया है।  समिति द्वारा अपनाई गई सूत्र-आधारित पद्धति के आधार पर 'अन्य राज्यों' के लिए अनुपात 1.3% बना, जो बढ़ाकर 1.75% कर दिया गया ताकि अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी की जा सके।
ओडी विनियम	राज्यों के भुगतान रोक दिए जाते हैं, <ol style="list-style-type: none"> <li>यदि कोई राज्य निरंतर 14 कार्य-दिवस के बाद भी ओडी में रहे;</li> <li>यदि कोई राज्य एक तिमाही में 36 कार्य दिवस से अधिक समय ओडी में बना रहे;</li> <li>यदि एक वित्तीय वर्ष में द्वितीय/परावर्ती अवसर पर लगातार 5 कार्य दिवस तक अर्थोपाय अग्रिम से ओडी 100 प्रतिशत अधिक रहता है।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अंतरिम उपाय को स्थायी कर दिया जाए क्योंकि यह उचित प्रतीत होता है।</li> <li>हालांकि, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्राकृतिक आपदाओं / विपदाओं के मामले में और कोविड-19 जैसी महामारी के समय भुगतान रोकने के प्रावधान को निलंबित कर दिया जाए।</li> </ol>	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतरिम रियायत प्रदान की गई जिसमें इस सीमा को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

**संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)**

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
ओडी विनियम	<p><b>वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अंतरिम रियायत</b></p> <p>1) एक राज्य/केंद्र शासित निरंतर जितने दिन ओडी में रह सकता है उन दिनों की संख्या को वर्तमान के 14 कार्य दिवस से बढ़ाकर निरंतर 21 कार्य दिवस कर दिया गया</p> <p>2) एक राज्य/यूटी एक तिमाही में जितने दिन ओडी में रह सकता है उसे वर्तमान के 36 कार्य दिवस से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया।</p>	<p>3. अंतरिम रियायत को निर्धारित तारीख 31-03-2021 के बाद भी और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की पूर्ण अवधि अर्थात 2021-26 तक रखा जाए।</p> <p>4. राज्यों को वर्तमान के 14 दिन के बजाय निरंतर 21 दिन ओडी में रहने की अनुमति दी जाए।</p> <p>5. वर्तमान के 5 कार्य दिवस की सीमा के स्थान पर 10 कार्य दिवस तक राज्यों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिक ओडी लेने दिया जाए।</p> <p>6. वर्तमान रियायत, जो राज्यों को लगातार 21 कार्य दिवस तक ओडी में रहने की अनुमति देती है, बरकरार रखी जाए।</p>	
विशेष आहरण सुविधा	<p><b>जी-सेक / एटीबी में निवेश पर सीमांकन</b></p> <p>राज्य अपने नकदी अधिशेष का निवेश भारत सरकार प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, बशर्ते तत्काल पहले के लगातार 90 दिनों में उन्होंने अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो।</p>	<p>1. 14 दिवसीय आईटीबी में प्रतिलाभ की कम दर को देखते हुए उक्त शर्त राज्यों को दंडित करने के तुल्य होगा, यहां तक कि कुछ ही दिनों के लिए अकस्मात ही विशेष आहरण सुविधा लेने पर भी। इसलिए पूर्ववर्ती 90 दिन में विशेष आहरण सुविधा लेने की शर्त को रिपोर्ट में से हटाया जाए।</p> <p>2. सीएसएफ (जी-सेक) में निवेश और उसके बाद विशेष आहरण सुविधा लेने पर निषेध से 90 दिन के लिए सीएसएफ में आगामी निवेश को बाधित करती है। यदि इसे हटा दिया जाए तो यह सीएसएफ में राज्यों के लिए प्रेरक का कार्य करेगी।</p> <p>3. प्रतिबंधों को लागू करने में सामना की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए विद्यमान प्रावधान की समीक्षा की जाए।</p>	इस अनुदेश को हटाने का प्रस्ताव प्रारूप रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

## संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएसए, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
एसडीएफ	<p><b>विशेष आहरण सुविधा लेने के बाद एटीबी में निवेश पर सीमांकन</b></p> <p>- जब 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के तुरंत बाद ही राज्य विशेष आहरण सुविधा ले लेते हैं तो उन्हें अगले 90 दिन तक 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।</p> <p><b>अन्य मुद्दे</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रतिबंधों को लागू करने में सामना की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए विद्यमान प्रावधान की समीक्षा की जाए।</li> <li>2. शर्तों को हटाने के प्रस्ताव को सहमति दी जाती है।</li> <li>3. इस शर्त में रियायत दी जाए और राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार विशेष आहरण सुविधा लेने की अनुमति दी जाए।</li> <li>4. समिति सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश से विशेष आहरण सुविधा को मुक्त रखने पर विचार करे और राज्यों को अनुमति दे कि वे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की सम्पूर्ण अवधि हेतु संशोधित अर्थोपाय अग्रिम के 50 प्रति-शत की दर से विशेष आहरण सुविधा ले सकते हैं।</li> <li>5. विशेष आहरण सुविधा की सीमा की संगणना सीएसएफ और जीआरएफ में समूची शेष राशि के बदले में की जाए।</li> <li>6. समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा सीमा का आकलन करने की वर्तमान शर्त का नि-हितार्थ यह है कि एक वर्ष में यदि कोई राज्य नया निवेश कर देता है तो नगण्य धारिता के बदले में भी उसे परितोष मिल जाएगा, जबकि जिन राज्यों का काफी संचय है लेकिन उन्होंने वृद्धिमान निवेश नहीं किया है, उन्हें विशेष आहरण सुविधा हेतु मनाही हो जाएगा। इससे राज्यों को संकट के समय भी संचयन करने की प्रेरणा मिलेगी।</li> </ol>	<p>इस अनुदेश को हटाने का प्रस्ताव प्रारूप रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।</p> <p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है।</p> <p>अर्थोपाय अग्रिम की तरह से विशेष आहरण सुविधा कोई विशुद्ध अग्रिम नहीं है, बल्कि यह तो सांपाक्षिक के बदले में दिया जाता है, अर्थात् जी-सेक (सीएसएफ और जीआरएफ)/ एटीबी में राज्य के निवेश। इसलिए, इसे सीएसएफ/ जीआरएफ में निवेशों से संबद्ध किया जाता है जो सांपाक्षिक के तौर पर कार्य करता है।</p> <p>विशेष आहरण सुविधा का आकलन दैनिक आधार पर किया जाता है।</p> <p>सीएसएफ और जीआरएफ में विद्यमान निवेशों से सृजित कूपन और मोचन भुगतानों का इसी निधि में पुनः निवेश कर दिया जाता है।</p> <p>पुनः निवेशों को वृद्धिमान निवेश भी माना जाता है।</p> <p>इस प्रकार यहां तक कि जब कोई राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान नए निवेश नहीं करता है, तो भी उसे परिचालन विशेष आहरण सुविधा की सीमा मिलती रहेगी।</p> <p>हालांकि, प्रतिवर्ष नए निवेश से राज्यों को उच्चतर विशेष आहरण सुविधा मिलेगी और उन्हें काफी संचय करने में भी मदद मिलेगी।</p>

**संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएसएफ, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)**

विचारित मंदा	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
विशेष आहरण सुविधा		<p>7. विशेष आहरण सुविधा की सीमा को विगत में बकाया शेष और विगत वित्तीय वर्ष में सीएसएफ और जीआरएफ के बकाया शेष के भारित औसत में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसएफ और जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश को जोड़ते हुए एक साथ लेकर कुछ प्रति-शत तक तय कर दिया जाए।</p> <p>8. विशेष आहरण सुविधा की सीमा को दैनिक आधार पर आकलित करने की बजाय मासिक आधार पर बदला जाए।</p> <p>9. केवल वार्षिक वृद्धिमान निवेशों के बदले में प्रदान करने की बजाय समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में कुल निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा दी जाए। इससे राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश की प्रेरणा मिलेगी।</p>	<p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। एसडीएफ सीमा का आकलन प्रतिदिन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी निवेश/विनिवेश/धारिताओं का विमोचन होता है तो सांपार्श्विक अर्थात् जीसेक/एटीबी का मूल्य भी बदल जाएगा।</p> <p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। एसडीएफ एक सांपार्श्विक अग्रिम है। यदि अग्रिम की चुकौती होने तक किसी राज्य को सीएसएफ/ जीआरएफ में कुल संचय के बदले एसडीएफ लेने की अनुमति दी जाती है तो जरूरत पड़ने पर राज्य विनिवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रतिभूतियां तो एसडीएफ के बदले में गिरवी बनी रहेंगी। इसलिए, विशेष आहरण सुविधा की सीमा की संगणना केवल सीएसएफ और जीआरएफ में वार्षिक वृद्धिमान निवेश के बदले में की जाती है।</p>
सीएसएफ/ जीआरएफ	<b>न्यूनतम संचयन</b> – वर्तमान स्कीम में निर्धारित नहीं किया है।	<p>1. प्रस्तावित संशोधन से सहमता।</p> <p>2. समेकित ऋण-शोधन निधि – बकाया देयताओं के 5% से कम की दर पर तय किया जाए – जैसे कि 3 अथवा 4 प्रति-शत।</p> <p>गारंटी मोचन निधि – प्रस्तावित न्यूनतम संचयन से सहमता।</p>	<b>प्रस्तावित संशोधन</b> – कुल बकाया देयताओं/गारंटियों के न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाए इसे 5 साल के भीतर प्राप्त किया जाना है और उसके बाद रोलिंग आधार पर।

**संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (समाप्त)**

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
सीएसएफ / जीआरएफ	<b>आहरण –</b> <b>सीएसएफ</b> – निधि की स्थापना के 5 वर्ष बाद अनुमति है। <b>जीआरएफ</b> – कोई अवरुद्धता अवधि नहीं	1. सिफारिश से सहमता  हालांकि, विरल और गंभीर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय और कोविड-19 जैसी महामारी के समय पर भी कुल बकाया देयताओं के न्यूनतम 5% के संचय में रियायत का प्रावधान होना चाहिए ताकि राज्य सरकारें प्रति चक्रकीय राजकोषीय प्रतिसाद कर सकें।  ऐसी स्थितियों में संचित रकम में से किसी भी प्रयोजन से कुल बकाया देयताओं के 2.5% से अधिक के आहरण की अनुमति दी जाए जिसे 3-5 वर्ष की अवधि में फिर से 5% के स्तर पर लाया जाए।  2. अगले कुछ ही वर्षों में राज्यों पर बड़े मोचन दबावों को देखते हुए 5 साल से पहले आहरण की अनुमति दी जाए।  3. वर्तमान संसाधन स्थिति के कारण राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरिम रियायत का स्वागत किया गया।	जब भी स्थितियां ऐसे प्रतिसाद की मांग करें तो संचित शेष में से मामला-दर-मामला आधार पर आहरण की अनुमति दी जा सकती है।  कोविड-19 के कारण पड़े राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी अंतरिम रियायत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी है। राज्यों को अनुमति दी गई कि वे अपनी निधि में संचित शेष के 75 प्रतिशत तक आहरण कर सकते हैं।
न्यूनतम नकदी शेष	न्यूनतम शेष में संशोधन अपेक्षित नहीं	सिफारिश से सहमता	
कोई अन्य मुद्दा	<b>ऋणात्मक महसूल</b> – राज्य सरकार द्वारा अधिक नकदी शेष रखना।	1. 14 दिवसीय आइटीबी पर ब्याज दर केन्द्र सरकार को प्रभार योग्य अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर के तुल्य होना चाहिए, क्योंकि अब 14 दिवसीय आइटीबी पर राज्यों को केवल 1.35% का ब्याज (रिवर्स रेपो दर में 200 आधार अंक घटाकर) मिलता है।  2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार की ऐसी कोई स्कीम ला सकते हैं, जिसमें राज्य सरकारों को अनुमति हो कि वे अपने अल्पावधिक नकदी अधिशेषों को गैर-स्पर्धी बोलीदाता के तौर पर अल्पावधिक सीएमबी में निवेश कर सकें।	

### संलग्नक 13 : सलाहकार समिति द्वारा आयोजित बैठकें

सलाहकार समिति की प्रथम बैठक 14 अक्तूबर 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

#### अध्यक्ष तथा सदस्यगण

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
- 3 श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा

#### वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- 7 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

#### भारतीय रिज़र्व बैंक

- 8 श्री बी. पी. कानूनगो, उप गवर्नर
- 9 श्रीमती मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक
- 10 श्री टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 11 सुश्री संगीता लालवानी, महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 12 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री एस. सूरज, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 14 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 15 श्री आशिष गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक/ डीलर, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 16 श्री अरविन्द एक्का, प्रबंधक/ डीलर, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 17 श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

- 18 श्री प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक 10 जुलाई 2020 को तत्समय विद्यमान लॉक डाउन स्थितियों को देखते हुए वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

#### अध्यक्ष तथा सदस्य

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
- 3 श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा
- 7 श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव(वित्त), असम

#### वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- 8 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

#### भारतीय रिज़र्व बैंक

- 9 श्री टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 10 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 11 श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 12 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री. सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 14 श्री. प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग



सलाहकार समिति की तृतीय बैठक 26 फरवरी 2021 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

**अध्यक्ष/ सदस्यगण और अन्य पदाधिकारी**

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआइपीएफपी
- 3 श्रीमती एस. राधा चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा
- 7 श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव(वित्त), असम
- 8 श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उत्तर प्रदेश
- 9 श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश

**वित्त मंत्रालय, भारत सरकार**

- 10 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

- 11 श्री आर. सुब्रह्मणियन, कार्यपालक निदेशक

- 12 श्री आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री देब प्रसाद रथ, प्रभारी अधिकारी, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग
- 14 श्री राजीव रंजन, प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग
- 15 श्रीमती लता विश्वनाथ, महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 16 श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, निदेशक, मौद्रिक नीति विभाग
- 17 श्रीमती संगीता मिश्रा, निदेशक, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग
- 18 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 19 श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 20 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 21 श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 22 श्री अविनाश देव, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

## संदर्भ

1. एलेन, सी. एम. (1965). "फिस्कल मार्क्समैनिशिप, 1951-1963". ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक पेपर्स, वाल्यूम 17, इश्यू 2, जुलाई 1965, पृष्ठ 317-327, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a040992>.
2. चक्रवर्ती, एल., चक्रवर्ती, पी., और श्रेष्ठ, आर. (2020). "बजट क्रेडिबिलिटी ऑफ सबनेशनल गवर्नमेंट्स: एनालाइजिंग दि फिस्कल फोरकास्टिंग एरर्स आफ 28 स्टेट्स इन इंडिया". लेवी इकोनॉमिक्स इन्स्टीट्यूट आफ बार्ड कॉलेज, वर्किंग पेपर नं.964.
3. आर्थिक कार्य विभाग (2013). "आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13".
4. आर्थिक कार्य विभाग (2019). "आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19".
5. भारतीय वित्त आयोग (2021). "15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट" स्रोत <https://fincomindia.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=3 &uid2=0&uid3=0&uid4=0>
6. नितिन, के. और राय, आर. (2014). "भारतीय वित्त आयोग के आकलन : प्रत्याशाओं और परिणामों के बीच राजनैतिक अर्थव्यवस्था परिवाद" अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र 48(2): 73-88.
7. पेसोआ, मारियो और माइक विलियम्स (2012), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट : रिलेशनशिप बिटवीन दि ट्रेजरी एन्ड दि सेन्ट्रल बैंक", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, नवम्बर
8. रेड्डी, वाई. वी. और रेड्डी, जी. आर., "इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक (2016). "राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट" (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस)। मार्च
10. भारतीय रिज़र्व बैंक (2015). "राज्य वित्त" बजटों का अध्ययन - 2014-15".
11. भारतीय रिज़र्व बैंक (2018). "राज्य वित्त" बजटों का अध्ययन 2017-18 और 2018-19".
12. श्रीनिवासन, एस. और मिश्रा, पी. (2020). "केन्द्र और राज्यों से अनुदान" फिस्कल मार्क्समैनिशिप". आईडीएफसी इंस्टीट्यूट वर्किंग पेपर 05.
13. विलियम्स, माइक (2010), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट इट्स इंटरएक्शन विद अदर फाइनेंशियल पॉलिसीज", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, जुलाई.